RNI NO. UTTHIN/2011/39408

पहाड़ों की गूंज

E-mail:
pahadonkigoonj@gmail.com
jeetmanipaniuli@rediffmail.com
UA/DO/DDN/721/2020-2022

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचारपत्र
सरकारी विज्ञापनों के लिये मान्यता प्राप्त

वर्ष : 13 अंक : 23 | देहरादून शनिवार 03 अगस्त 2024 | सहयोग मूल्य : 1 रुपया | पृष्ठ 12

देशवासियों एवं श्रद्धालुओं को चारों धाम यात्रा में आने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुभकामनाएं दी।

www.ukpkg.com, www.pkgnews24.com & www.fourthpillarofdemocracy.com पर लॉगइन और शेयर करें।

हिन्दू परिवार हल्के वस्त्र नहीं पहनकर धर्म, संस्कृति को बचाने की कृपा कीजिए। जीतमणि पैन्यूली पूर्व संरक्षक श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर्मचारी संघ।

लोकतंत्र मांगे मीडिया का संवैधानिक चेहरा

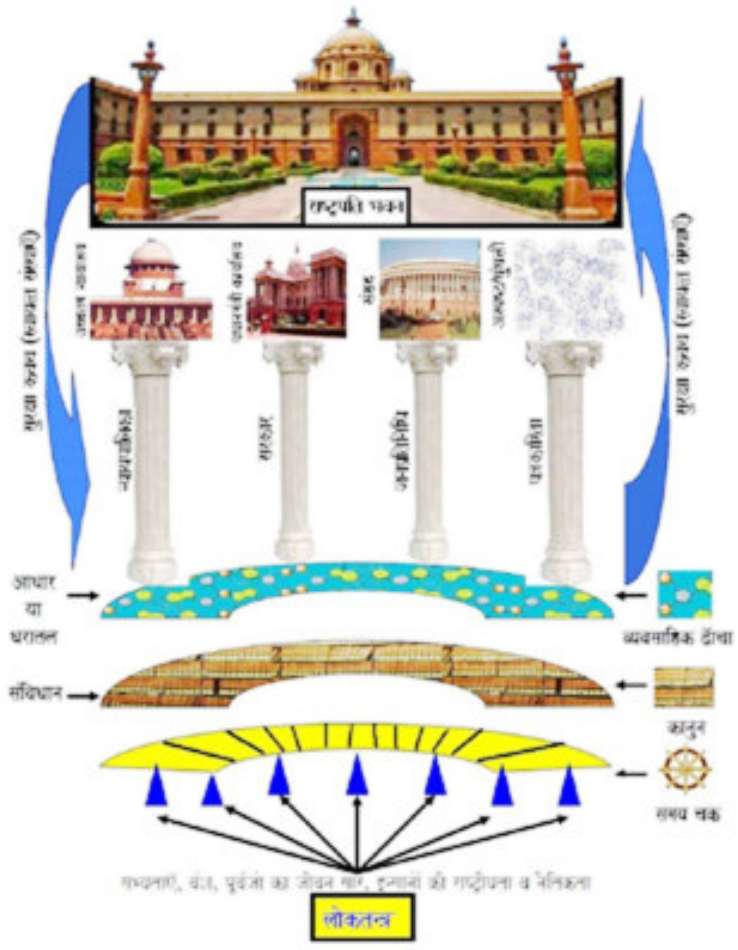

सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ प्रिंट मीडिया से संबंधित विज्ञापन नीति पर की चर्चा

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रख्यापित की जाने वाली प्रिंट मीडिया से संबंधित विज्ञापन नीति को और अधिक प्रभावी एवं युक्ति संगत बनाये जाने के दृष्टिगत बुधवार को सूचना भवन लाडपुर में प्रेस काउंसिल की सब कमेटी के सदस्यों ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से भेंट की। सब कमेटी द्वारा इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया।

इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद के सब कमेटी के सदस्य गुरिंदर सिंह, श्याम सिंह पंवार, आरती त्रिपाठी मौजूद रही जबकि महानिदेशक सूचना के साथ अपर निदेशक आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक के.एस.चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव तथा उपनिदेशक श्री रवि बिजारनियां उपस्थित रहे।

महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने भारतीय प्रेस परिषद की उप समिति के सदस्यों को राज्य में

समाचार पत्रों एवं उनके प्रतिनिधियों के हित में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रिंट मीडिया से संबंधित विज्ञापन नीति को व्यवहारिक बनाये जाने के प्रयास किये गए है।

ज्ञातव्य है कि भारतीय प्रेस परिषद सब कमेटी के सदस्यों ने अपने उत्तराखण्ड भ्रमण के दौरान मंगलवार को मीडिया सेंटर, सचिवालय में उत्तराखण्ड सरकार की प्रिंट मीडिया, विज्ञापन नीति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड के स्टेक होल्डर्स के साथ श्रम विभाग उत्तराखण्ड में पंजीकृत समस्त पत्रकार संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों, अन्य पत्रकार संगठनों, स्टेट प्रेस क्लब देहरादून एवं प्रेस क्लब देहरादून के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विज्ञापन नीति के संबंध में विचार विमर्श कर उनके सुझाव प्राप्त किए।

बी.ओ.आई ग्राहक सेवा गोष्ठी में सबसे अच्छे प्राडक्ट की दी जानकारी

देहरादून 2.08.2024। देहरादून मेन ब्रांच में बैंक आफ इंडिया में ग्राहक सेवा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता आंचलिक प्रबंधक श्री विवेक तिवारी द्वारा की गई। मीटिंग में ग्राहकों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। शिकायत व सुझाव पर चर्चा हुई। आंचलिक कार्यालय से आए बैंक अधिकारियो द्वारा बैंक के विभिन्न प्रोडक्ट्स यथा सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, एसेट बैंक लोन, डाक्टर प्लस स्कीम आदि के बारे में चर्चा हुई। अगस्त में अच्छे प्रोडक्ट्स लांच होने की जानकारी दीए इसमें 74 प्रतिशत तक ग्राहकों को फायदा पूर्व के प्रोडक्ट से हुई है। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक श्री हरि राम, श्री बी पी नबियाल, मोव.फरमान, वरि.प्रबधक मनीषा रमोला व शाखा केअन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए शासन-प्रशासन की तैयारियां शुरू

देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखण्ड में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की दिशा में सीएस राधा रतूड़ी ने राजस्व एवं कृषि विभाग को भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट ष्एग्री स्टैक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाष को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी है। उन्होंने एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए गाइडलाइन्स बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राध ा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड में सभी किसानों की कृषक रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से सत्यापित करने तथा राज्य के प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान करने वाले महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट एग्री स्टैक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे ई-पड़ताल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में एग्री स्टैक प्रोजेक्ट का शत प्रतिशत कवरेज जल्द से

जल्द पूरा करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक को लागू करने में स्थानीय समुदायों व किसानों को प्रशिक्षित करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा राजस्व बोर्ड को अपनी तैयारियां तत्परता से पूरी करने तथा कार्मिकों की कमी की दशा में अन्य विभागों के कार्मिकों की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं।

...सम्पादक की कलम से

सोशल मीडिया पर बाबाओं का विवाद

ukpkg.com

जब से सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से व्यापक हुआ है, तब से समाज का हर वर्ग यहां तक कि गृहणियां भी 24 घंटे सोशल मीडिया पर हर समय छाए रहते हैं। इसके दुष्परिणामों पर काफी ज्ञान उपलब्ध है। सलाह दी जाती है कि यदि आपको अपने परिवार या मित्रों से संबंध बनाए रखना है, अपना बौद्धिक विकास करना है और स्वस्थ और शांत जीवन जीना है तो आप सोशल मीडिया से दूर रहें या इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करें। पर विडंबना देखिए कि समाज को संयत और सुखी जीवन जीने का और माया मोह से दूर रहने का दिन–रात उपदेश देने वाले संत और भागवताचार्य आजकल स्वयं ही सोशल मीडिया के जंजाल में कूद पड़े हैं। विशेषकर ब्रज में ये प्रवृत्ति तेजी से फैलती जा रही है। पिछले ही दिनों वृंदावन के विरक्त संत प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच सोशल मीडिया पर श्री राधा तत्व को लेकर भयंकर विवाद चला। ऐसे ही पिछले दिनों वृंदावन में नवस्थापित भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के वक्तव्य भी विवादों में रहे। इसी बीच बरसाना के विरक्त संत श्री रमेश बाबा द्वारा लीला के मंचन में राधा स्वरूप धारण कर बालाकृष्ण से पैर दबवाने पर विवाद हुआ। ये सब ब्रज की विभूतियां हैं। हर एक के चाहने वाले भक्त लाखों–करोड़ों की संख्या में हैं। जैसे ही कोई विवाद पैदा होता है, इनका चेला समुदाय भी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हो जाता है। ठीक वैसे ही राजनैतिक दलों की ट्रोल आर्मी, जो बात का बतंगड़ बनाने में मशहूर है, सक्रिय हो जाती है। यह सब सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने का एक तरीका बन गया है। अब प्रेमानंद जी वाले विवाद को ही लीजिए, कितने ही कम मशहूर भागवताचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े जिनके फॉलोवर्स चार–पांच सौ ही थे पर जैसे ही वे इस विवाद में कूदे तो उनकी संख्या 20 हजार पार कर गई यानी बयानबाजी भी फायदे का सौदा है। परंपरा से शास्त्र ज्ञान का आदान–प्रदान गुरुओं द्वारा निर्जन स्थलों पर किया जाता था जहां जिज्ञासु अपने प्रश्न लेकर जाता था और गुरु की सेवा कर ज्ञान प्राप्त करता था। यही पद्धति भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताई थी। भगवद गीता के चौथे अध्याय का चौंतीसवां श्लोक इसी बात को स्पष्ट करता है। अब धर्मगुरु चाहें न चाहें पर उनके शिष्य, उनके प्रवचनों का सोशल मीडिया पर प्रसारण करने को बेताब रहते हैं और फिर अलग–अलग गुरुओं के शिष्य समूहों में आपसी प्रतिद्विंद्विता चलती है कि किस गुरु के कितने चेले या श्रोता हैं। जिस संत के फॉलोवर्स की संख्या लाखों में होती है उन पर टिप्पणी करना या उन्हें विवाद में घसीटना लाभ का सौदा माना जाता है क्योंकि वैसे तो ऐसा विवाद खड़ा करने वालों की कोई फॉलोइंग होती नहीं है। पर इस तरह उन्हें बहुत बड़ी तादाद में फॉलोवर और लोकप्रियता मिल जाती है।

https://fourthpillarofdemocracy.com/

समस्त देशवासियों को चारधाम यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं

9412346560 (N)
9897647883 (M)

L. R. Dangwal
Advocate

Office :
Block No.5,
Distt. Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

Resi. :
26, D.A.V. College Road
Near Primary School,
Karanpur, Dehradun - 248001

संविधान संरक्षक राष्ट्रपति निर्णय ले

संवैधानिक संस्थाओं में हो रहा हैं त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम

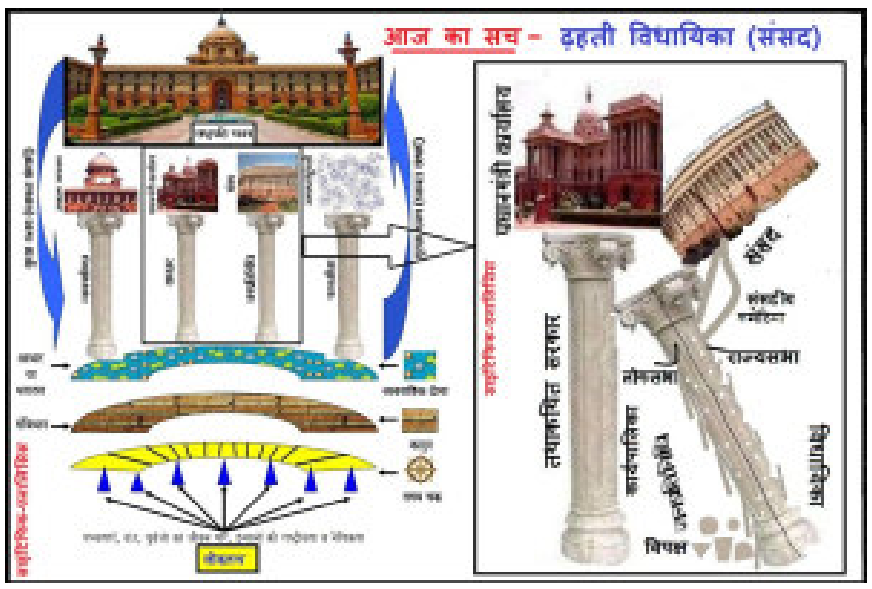

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सभी स्तम्भों सहित संस्थानों के अन्दर त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम हो रहा हैं द्य इस त्राहिमाम का एक ही कारण हैं मीडिया।

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहां जाता हैं परन्तु इसे कोई संवैधानिक चेहरा व जवाबदेही वाला कानूनी अधिकार नहीं दे रखा हैं द्य इस कारण कार्यपालिका सहित सभी सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं में भ्रम की स्थिति बन गई हैं उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा हैं कि मीडिया की खबर सच हैं, झूठ हैं, अफवाह हैं, प्रोपेगंडा हैं या अपराधियों एवं निजी स्वार्थ के लिए धन द्वारा प्रयोजित हैं। यहां तक की मीडिया असली हैं या रजिस्टर्ड नाम का इस्तेमाल कर कोई अपने एजेंडे की बात खबर में परोस गया।

प्रत्येक संवैधानिक संस्था के प्रमुख सामने आकर सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। इनमें से कुछ के बयान इस प्रकार हैं।

U;k;ikfydk okyk LrEHk%– इसके प्रमुख न्यायाधीष एन वी रमण ने पद पर रहते हुए 23 जुलाई, 2022 को अपने एक दिन के झारखंड प्रवास के दौरान कहां – न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतन्त्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा हैं। मीडिया कंगारू अदालतें चला रहा हैं । इसके चलते कई बार अनुभवी न्यायाधीषों को भी सही और गलत का फैसला करना मुष्किल हो जाता हैं। यह लोकतंत्र को कमजोर कर व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया अपनी हद से आगे बढकर और जिम्मेदारी से पीछे हटकर हमारे लोकतन्त्र को दो कदम पीछे ले जा रहा हैं।

dk;Zikfydk okyk LrEHk%– लोकतन्त्र कमजोर हो रहा हैं इसे मजबूत करने के लिए मीडिया को जवाबदेही वाले अधिकार देकर शक्तिषाली बनाना पडेंगा यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9–10 दिसम्बर, 2021 को अमेरिका के राश्ट्रपति जो बाईडेन की अध्यक्षता में 110 देषों के प्रमुखों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में कही द्य राज्य सरकारें भी समय – समय पर यह चिंता जताती रहती हैं।

अब तो देष के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 6 नवम्बर, 2022 को कहां कि फर्जी इंटरनेट मीडिया पोस्ट से स्वतन्त्र एवं निशपक्ष चुनाव प्रभावित होता हैं इसलिए यह चुनाव प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गया हैं द्य चुनाव में आम लोगों के वोटों पर ही तो लोकतंत्र टीका हैं।

foèkkf;dk okyk LrEHk%– संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य आये दिन सदन के अन्दर और बाहर मीडिया की बेरूखी के बारे में बोलते रहते हैं, यहां तक की कई सदस्य धरना भी दे चुके हैं। देष की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने तो न्यूज़ चौनलों की डिबेट में जाना ही छोड दिया हैं और अधिकांष राजनैतिक दलों के सदस्य चयनित मीडिया हाऊस के प्रोग्राम में जाने लगे हैं।

ehfM;k okyk fIQ dg tkuk okyk LrEHk:– इसने तो श्गोदी मीडियाश के नाम से एक नई पहचान व स्तम्भ खड़ा कर लिया हैं द्य इससे क्षेत्र से जुड़े लोग एक बार इसका उच्चारण करे बिना रह नहीं सकते चाहे अच्छाई करो या बुराई द्य राश्ट्रीय और अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कई माननीय लोग सच्ची खबरों को रोकने व स्वतंत्रता की बात कर एक संस्थान से दूसरी संस्थान में जा रहे हैं

jk"Vªifr dk QSlyk lc gh [kRe gksxk gkgkdkj%& देष में मचे इस हाहाकार को राश्ट्रपति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 143 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्ष मांग उस के तत्वाधान में फैसला लेकर ही खत्म कर सकती हैं द्य इसके लिए सरकारी प्रक्रियाओं के तहत वो युवा वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार बिराणी के असली एडी–सिरिंज की आविश्कार वाली फाईल से अन्तिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो चुकी हैं ।

इसका प्रमाण के साथ दस्तावेज युवा वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने अपने पेटेन्टेट आविश्कार एडी–सिरिंज के आविश्कार वाली फाईल के साथ 19 अगस्त 2011 को राष्ट्रपति जो संविधान के संरक्षक भी हैं उन्हें भेजा (स्मजजमत तमि. छव. च1/क/1908110208) द्य इस पर राष्ट्रपति सचिवालय की मोहर व आधिकारिक साईन मौजूद व इस दस्तावेज से पूर्णतया स्पष्ट था कि भारतीय मीडिया को संवैधानिक चेहरे व कानूनी अधिकार से वंचित रखा गया हैं द्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सिर्फ बातों व ख्यालों में लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ का झूठा तमगा लगा मीडियाकर्मियों के माध्यम से हर रोज आम जनता की पीड़ा, पुकार व समस्याओं को अखबारों की रद्दी व न्यूज चौनलों पर मनोरंजन का साधन बना रहे हैं

इस फैंसले के साथ सबसे बडें पद की संवैधानिक कुर्सी का लंगडापन भी दुर हो जायेगा ।

राष्ट्रपति फैसला लेने में जितना समय लगायेगी उतने समय तक लोकतंत्र की मालिक देष की जनता को हर रोज हेट स्पीच के रूप में टीवी, अखबारों और सोषियल मीडिया के माध्यम से गालियां / अपषब्द / धमकियां सुननी पडेंगी । यही संविधान की प्रस्तावना व आजादी का प्रतिफल बनकर रह जायेगा ।

समस्त देशवासियों को चारधाम यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं

सिटी हार्ट सेंटर
24 ऑवर इमरजेंसी सेवा उपलब्ध
डॉ. संजय गांधी
55 ईसी रोड, देहरादून
Mo-9837049966

सच्चाई से भागने की ही जमीन बना रहा है हेट स्पीच

अच्छें दिनों के दौर में, आजादी के अमष्त महोत्सव के षोर में हर तरफ एक ही बहार हैं कृकृये दिल मांगे श्हेट स्पीचश द्य जन सभाओं में, धर्म संसदों में, रैलियों में, टेलिवीजन की हर षाम होने वाली डिबेट में, सोषियल मीडिया और उसके लाईव प्रसारण के दौरान कोई भी अपषब्द, अमर्यादित, गैरकानूनी, भडकाऊ, निर्लज, हिंसा को प्रेरित करने वाला बयान दे देता हैं जो अंग्रेज़ी भाशा में श्हेट स्पीचश की उपाधि पाकर पूरे देष में मीडिया पर सवार होकर दिन दुगुनी रात चौगुनी वषद्धि करता हुआ पूरे समाज को लोकतांत्रिक व्यवस्था की छांव में अपने आगोष में ले लेता हैं।

इस आगोष का नषा इतना गहरा हैं कि संविधान के संरक्षक राश्ट्रपति को नहीं बख्स्ता, उच्चतम न्यायालय में अलग–अलग इतने मामले पहुंच गये की हथौड़ा ठोक ठोक कर आवाज निकालनी पड रही हैं ताकि स्वीट स्पीच को बचाया जा सके द्य अदालत एक मामलें में दोशी की सजा तय नहीं करती तब तक वैसे ही चार नये खड़े हो जाते हैं द्य इस पर आकडों के खिलाड़ी और सांख्यिकी के महारथी यह कहकर नषे के आगोष से जगाने की नाकाम कोषिष करते हैं कि पिछले एक वर्श में हेट स्पीच के मामले 500: फिसदी बढ़े हैं।

हेट स्पीच के सभी मामलों में एक चीज कॉमन हैं वो हैं । मीडियाश, मीडिया चाहे इलेक्ट्रानिक हो, प्रिंटिग प्रेस वाली हो या सोषियल सभी एक दूसरे से दो कदम आगे नजर आते हैं द्य अदालतें फटकार लगा रही हैं, तथाकथित राजनैतिक दलों की सरकारें अपने–अपने नेताओं को आंचल में छिपा दूसरों पर बरसने के लिए स्वयं चुप रहकर अपने सिपहसालारों को मोर्चे पर तान रही हैं द्य ये महारथी अपने मुंह से पहले वाले हेट स्पीच से बड़ा स्पीच निकालकर उसको खत्म करने के लक्ष्य को पुरा कर खुद के हेट स्पीच को आगे खडा कर रहे हैं।

अदालतों को बिना किसे सजा सुनाकर नाराजगी मोल लिये फटकार लगाने का चांस पर चांस मील रहा हैं, वकीलों को नये–नये लडने के केस मील रहे हैं, हेट स्पीच देने वाले को फ्री में करोडों रूपये की पब्लिसिटी मील रही हैं, मीडिया को हर रोज दिखाने व कमाने का मसाला मील रहा हैं, सरकारों को अपने कामों की रिपोर्ट छिपाने का साधन मील रहा हैं।

इसमें मीडिया रिपोर्ट रात गई बात गई के सिद्धांत से सबको महफूस कर रही हैं द्य यदि ज्यादा से ज्यादा सजा हुई तो क्या? सिर्फ माफी मांगनी पडेगी वो तो हवा का रूख देखकर कभी भी मांग ली जायेगी द्य इसलिए यह बहार सबको हेट स्पीच देकर अपने आप को चमकाने का मौका दे रही हैं द्य इसमें जात–पात, धर्म, रहन–सहन, खाना–पीना, जीवन जीना माध्यम बन रहे हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी मीडिया के प्रसारण, संकलन, कानूनी प्रक्रिया में समायोजन के अभाव में कब लक्ष्मण रेखा जुबानी हवाई ड्रोंनो से पार कर जाती हैं पता ही नहीं चलता हैं।

इस पूरे जुबानी जंग के खेल में मीडिया का कोई संवैधानिक चेहरा व जवाबदेही वाला कानूनी अधिकार नहीं होने से सब अपने अनुसार मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं द्य इसमें कुर्सी पर बैठा इंसान भी पीछे नहीं हैं द्य मीडिया व्यवसाय से जुडें लोग भी क्या करें वो तो दिखाने का अपना धर्म निभा रहे हैं और व्यापार के सिद्धांत का पालन कर जीविका चला रहे हैं द्य इसमें संवैधानिक सुरक्षा व कवच न होने से जुबान के हवाई ड्रोन राख में पैंसो के बंडल लेकर गिर जाये तो उन्हें कौनसा परहेज हैं। उच्चतम न्यायालय को हर मामले में से मीडिया की डोर पकड़ सबको एक बड़ी संवैधानिक पीठ की अदालत में भेजना पडेगा जहां सभी न्यायाधीष एक साथ बैठे हो अन्यथा पांच – सात जजों की बैंच निर्णय नहीं लेगी तब तक उनकी सामाजिक बाते और जिन्दगी को सोषियल मीडिया मे वायरल कर दी जायेगी।

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता हैं, बोला जाता हैं परन्तु सबकुछ जुबानी रहता हैं उसे संवैधानिक चेहरा व कानूनी जवाबदेही नहीं दी जाती, यह बात संविधान के संरक्षक राश्ट्रपति महोदय को भी 2011 से बता हैं द्य संविधान लिखा गया 1947 के बाद और लागू हुआ 1950 में और इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोषियल मीडिया व सूचना क्रांति आई इसके बाद, इसलिए समय के चक्र में एक बहुत बड़ा समूह बहुत पतली डोर से संयमित व स्थीर नहीं रह पा रहा हैं इसलिए उसके हिलने डुलने से न चाहते हुए भी लोकतन्त्र में तोड़–फोड व नुकसान हो रहा हैं।

यह मामला सिर्फ़ एक कानून, कमेटी, नियामक संस्था बना देने से खत्म नहीं होगा अन्यथा सरकार संसद में कभी का बना देती द्य कानून बना देने से व्यवस्था नहीं बनती क्योंकि कानून बनाना ही खुद व्यवस्था का एक हिस्सा हैं और यह मामला व्यवस्था को मजबूत, पारदर्षी, स्पश्ट और विस्तष्त करने का हैं द्य इसलिए आम जनता को अपने मोबाइल का कैमरा घुमाने पर न्यायपालिका के चेहरे सुप्रीमकोर्ट, कार्यपालिका के चेहरे प्रधानमंत्री कार्यालय और विधायिका के चेहरे संसद की तरह मीडिया या जनसंदेषिका का भी चेहरा दिखना चाहिए। यह सच तो सबको दिल व दिमाग से सबको मालूम हैं कि हर देषवासी पहले आम नागरिक हैं फिर नेता, मंत्री, न्यायाधीष, अधिकारी, इंजिनीयर, डाक्टर, वैज्ञानिक इत्यादि – इत्यादि हैं।

मीडिया व आजादी के लिए करो या मरो की स्थिति

नई–नई तकनीकों के लगातार आविश्कार और उनके दैनिक जीवन में आने से विकास तो हो रहा हैं परन्तु इनको नियंत्रित व परिस्थितियों के अनुकूल नियमित करने की व्यवस्था जो पुराने समय के मापदंडों पर टिकी हैं व समय के चक्र के अनुसार आगे गतीषील नहीं हो रही हैं जो बहुत बडा विक्षोभ लाने जा रही हैं।

वर्तमान में एपल विजन प्रो को लान्च किया गया। इसके साथ आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वीडियो को देखने का अलग ही ट्रैंड शुरु हुआ हैं। ट्वीटर प्रमुख एलन मस्क इसे आगे ले जाना चाहते हैं व फेसबुक जो अब मेटा हैं उसके प्रमुख मार्क जुकरबर्ग इसी तकनीक के माध्यम से एक अलग ही डिजटल वर्ल्ड की दुनिया बना रहे हैं। इसके लिए ही उन्होंने फेसबुक का नाम बदल मेटा करा था। इस नये डिजीटल वर्ल्ड के अन्दर एपल विजन प्रो जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरण के माध्यम से समुद्र में बिछी इन्टरनेट की केबलों के रास्ते लोगों को डिजीटल वर्ल्ड की दुनिया में ले जाया जायेगा। यहां प्राइवेट कम्पनीयों के शौरूम होंगे जो अपने–अपने उत्पाद को अभी के बाजार शौरूम की भॉत्ति दिखाकर लोगों से आर्डर बुक कर लेंगे द्य इसके बाद सिर्फ उन्हें अपने नजदीकी गौदाम से माल की डिलेवरी देनी होगी द्य चीन हर देष में जमीन क्यों खरीद रहा हैं इसका रहस्य अब आप समझ चुके होंगे।

इसके साथ ही विज्ञापन क्षेत्र में प्रिंट मीडिया का वर्तमान दायरा सिकुड़कर 10 फिसदी से निचे चला जायेगा। इसका भी बडा हिस्सा बडे अखबार व पत्रिकाएं ले जायेगी और वे अन्य दुसरी आय से टिक जायेंगे परन्तु छोटे, मध्यम अखबार, आनलाईन न्यूज पोर्टल खत्म हो जायेंगे द्य इलेक्ट्रोनिक न्यूज चौनल 100: फिसदी विदेषी निवेष छुट के रास्ते अन्य देषों की अधीन कम्पनीयों की गोदी में बैठकर सरवाईव कर लेगी। वर्तमान में गोदी मीडिया के नाम से कुख्यात संगठनों को कोई फर्क नहीं पडेगा क्योंकि उनको पैसा तो मेहनत से नहीं बिकने वाले पिछले चोर दरवाजे से मिलता हैं। सरकार सहयोग व विज्ञापन की बैषाखियों के सहारे यदि छोटे अखबार व न्यूज पोर्टल चलने लगे तो फिर लोगों को स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया इतिहास की किताबों में ही पढने को मिलेगा। किसी ने हिम्मत व हौसला रखकर सत्य व निश्पक्ष खबरें छापना जारी रखा तो कानूनी डंडे और आर्थिक सुरक्षा के बिना कितने लम्बे समय तक चल पायेंगे यह आप हमसे ज्यादा बहतर समझते हैं।

डिजिटल वर्ल्ड में लोगों द्वारा खरीदे गये समान पर टैक्स व नियंत्रण तो कानूनी रूप से दूसरे देषों के लगेंगे जहां विदेषी कम्पनी का रजिस्टर्ड आफिस होगा द्य भारत सरकार ने पहले ही इन कम्पनीयों के माध्यम से पैसे लेन–देन की सुविधा का अलग प्लेटफार्म बनाकर काम करने की छुट दे रखी हैं। यहा भारत सरकार का दायरा सिर्फ ट्रांजेक्षन तक सीमित हो जायेगा उसे सिर्फ और सिर्फ कम्पनी के गोदाम से लोगों के घर माल डिलेवरी की सर्विस पर लगने वाला टैक्स मिलेगा। चीन के सस्ते समान, अमेरिका की पूंजी, तकनीकों के विदेषी पेटेंट और के कानूनी षिकंजे के सामने भारत कहां टिकता है सिर्फ हमारा बाजार खुल्ला व सबसे बडा हैं यह 56 इंच की छाती खोलकर सभी को आमंत्रित कर देने से क्या होगा। इससे पैसा खिचता चला जायेगा वो घुमकर दुबारा देष के लोगों की जेब में मीडिया व आजादी के लिए करो या मरो की स्थिति। इसके माध्यम से भारत का लोकल बाजार जो करोडों लोगों की आय का साधन है वो क्रैष हो जायेगा व कानूनी दायरे के रूप में माने तो विदेषी कंट्रोल होने के कारण आम आदमी को आजादी से हटाकर गुलामी के मार्ग पर धकेल दिये जायेंगे। इससे गिने चुने अमीर लोगों को जरूर फायदा होगा। भारतीय लोगों के अधिकांष व्यापार व धन्धे माल पर कमीषन लेकर आगे बढाने की चेन पर टिके हैं। जब यह चेन ही खत्म हो जायेगी तब क्या होगा। हम वर्षों से कह रहे हैं व राष्ट्रपति के संज्ञान में 2011 के अंदर ही ला दिया था कि मीडिया को संवैधानिक चेहरा व कानूनी जवाबदेही वाला अधिकार दिया जाये ताकि सभी अखबार, न्यूज़ चौनल, मीडिया हाऊस व सोषियल मीडिया उसके अन्तर्गत भारत सरकार के साथ कानूनी रूप से जवाबदेही के रूप में जुडकर आर्थिक रुप से समाज में टिक सके द्य इसके साथ ही इस लूप पोल के माध्यम से विदेषी ताकतों द्वारा देष व उसके बाजार को कन्ट्रोल करके लोगों की आजादी छिनने का जो मार्ग बनाया जा रहा हैं उसे समय रहते कन्ट्रोल में कर भारत की कानून व्यवस्था के अन्दर लाया जा सके। भारतीय लोकतंत्र के चार स्तम्भ माने जाते हैं। इसमें न्यायपालिका का चेहरा उच्चतम न्यायालय हैं, कार्यपालिका का चेहरा प्रधानमंत्री कार्यालय हैं, विधायिका का चेहरा संसद हैं व पत्रकारिता का कोई चेहरा नहीं हैं इससे राष्ट्रपति की संवैधानिक कुर्सी लंगडी है। इसी चेहरे के अभाव में तकनीकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में घुसपैठ का मार्ग बनाया जा रहा हैं। अंग्रेज भारत मे पहले व्यापार करने ही आये थे। उन्होंने इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में घुस हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया था।

सत्ता की साजिश, मीडिया को 'लोकतंत्र' में अछूत रखकर उसे ही मिटाने का अपराधी बना दो

अमृतकाल में संवैधानिक पदों पर बैठे एवं कुर्सियों से चिपके महानुभवों में अमृत पीने की होड मची हैं और उससे पहले निकल रहे विष को मीडिया के माध्यम से जनता को सर्वेसर्वा एवं दयालू बता कर जबरदस्ती पीने को मजबूर कर रहे हैं द्य इसके लिए मीडिया को संवैधानिक चेहरा व जवाबदेही वाले कानूनी अधिकार से वंचित रखकर लोकतन्त्र के अछूतों की भांति व्यवहार कर रहे हैं द्य इन्हें मंचों से दूर व नीचे रखकर सिर्फ फोटो खिंचने व उनके गुणगान करने के लिए रखा हैं द्य इसके साथ एक–एक करके सत्ता में से बड़ा व्यक्ति सामने आ रहा हैं और संस्थानों की नाकामी एवं विघटन, जनता की बर्बादी, तकलीफ़ , पीड़ा, परेशानियों के लिए मीडिया को धो – धोकर कोश रहा हैं व लोकतंत्र की बर्बादी का मुख्य अपराधी बता रहा हैं।

dkuLk loèkkfud pgjk ugh g\& लोकतंत्र के चार स्तम्भ माने जाते हैं, पहला विधायिका जिसका चेहरा संसद हैं, दुसरा कार्यपालिका जिसका चेहरा प्रधानमंत्री कार्यालय हैं, तीसरा न्यायपालिका जिसका चेहरा उच्चतम न्यायालय हैं व चौथा स्तम्भ पत्रकारिता जिसका कोई चेहरा नहीं हैं द्य इसे धन बल, बाहु बल, सत्ता के डर, बाजारवाद के स्वार्थ, नग्नता के प्रदर्शन के रूप में जो चाहे, जैसा चाहे इस्तेमाल करता हैं द्य देष के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मंचों पर सिर्फ तीन स्तम्भों के प्रमुखों को जगह दी जाती हैं द्य मीडियाकर्मीयों को तो मंच के नीचे अछूतों की तरह दूर रखा जाता हैं द्य फोटो खिंचना, सवाल पूंछना, कार्यक्रम को कवर करना उनका काम हैं जिससे लोकतन्त्र को जीवित रखकर मजबूत बनाते हैं द्य सभी मीडियाकर्मी मंच पर नहीं जा सकते परन्तु उनका प्रतिनिधि या प्रमुख तो मंच पर रहना चाहिए।

lfoèkku dk vUnj ugh fy[kk gS– सौ में से ननयानवें जवाबदेही लोग यहीं कहेंगे परन्तु इस सच को छुपा लेंगे कि संविधान लिखते समय टी.वी, इलेक्ट्रानिक मीडिया, इन्टरनेट, सोषियल मीडिया वजूद में नहीं थे द्य उस समय कुछ अखबार ही चलन में थे परन्तु उन्होंने देष को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी द्य इस कारण इन्हें संविधान में उचित स्थान व गौरव दिया था परन्तु समय के साथ उसे अछूत में बदल दिया द्य हर व्यक्ति मीडिया को चौथा स्तम्भ कह कहकर उसे देषभक्ति के झाड़ पर चढ़ाता हैं और उसे लडाई के मैदान में, दुष्मनों के खेमें में, उग्र जनता के बीच, विपदाओं के समय आगे कर विषम परिस्थितियों में भेजता हैं और अपना काम निकाल लेता हैं द्य यदि चौथा स्तम्भ नहीं हैं तो इस झूठ पर रोक लगनी चाहिए, सरकारी कार्यक्रमों की फ्री कवरेज व रिपोटिंग पर बाध्यता खत्म होनी चाहिए।

जनता अपनी तकलीफ़, पीडा, समस्या, खुषी, कामयाबी व जीवन भर के अनुभव सबकुछ मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के झांसे में फंसकर बताती हैं ताकि उनकी बात ऊपर तक पहुंचे, उनके जीवन के अनुभव लोकतंत्र को मजबूत करे द्य इसमें कई लोग मीडिया के भी हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के घमण्ड में जनता को डराकर अपना स्वार्थ सिद्व करते हैं और उन्हें नकली देषभक्ति के नाम पर निचोड देते हैं द्य इसके साथ जवाबदेही वाले कानून के अभाव में सबकुछ अखबारों की रद्दी व टेलिवीजन पर मनोरंजन का साधन बनाकर खत्म कर दिया जाता हैं द्य सत्ता अपना खेल खेल जाती हैं और जनता की नजरों में दोशी यहीं बनते हैं द्य मामला यदि बदमाषों का हो तो इन्हें अपनी जान खोकर कीमत चुकानी पड़ती हैं।

vèkjh uxjh pkiV jktk ugh jk"Vifr& इन्हें सबकुछ पता हैं कि उनकी संवैधानिक कुर्सी लंगडी हैं उसके सिर्फ तीन पाये (न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका) हैं चौथा नहीं हैं द्य इसके पष्चात् भी रबर स्टैंम्प के ताज को सिर पर रख चाहिए–चाहिए की भाषा बोल रहे हैं जबकि युवा वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार बिराणी की एडी–सिरिंज वाली आविश्कार की फाईल से वो अन्तिम निर्णय लेने के लिए 2011में ही कानून अधिकृत हो चुके हैं द्य यदि उन्हें कोई शंषय हैं तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 143 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्ष मांग ले द्य इसके लिए सिर्फ दिल की पीड़ा का रोना रोने से क्या होगा जो दवाई अपनी जेब में रखी पड़ी हैं उसे स्वयं लेनी ही पडेंगी।

çèkkueU=h rks pgjk cu mdlkus e yxs g– प्रधानमंत्री तो झूठ के ब्रांड एम्बेसडर बन लोगों को बर्दास्त करते रहने की नसियत दे रहे हैं द्य सार्वजनिक मंचों पर चिल्ला चिल्लाकर भाईयों और बहनों की आत्मीयता से बता रहे हैं कि उन्हें 2–3 किलो गालीयां रोज दी जाती हैं परन्तु भगवान ने उन्हें ऐसी पाचक क्षमता दी हैं कि वे उसे पोषाक तत्व में बदल देती हैं द्य इसका सीधा अभिप्राय यह हुआ कि मीडिया को संवैधानिक चेहरे से वंचित रखों ताकि वो इन गालीयों को रोक सके उल्टा मीडिया के माध्यम से जनता को रोज गालियां, अपषब्द एवं धमकियां सुनाओं और यदि वो विरोध करे तो उन्हें पचाने की नसियत दे दो द्य इसके साथ यदि गुस्सा उबाल मारने लगे तो उल्टा एक दो पत्रकारों या एंकरों को न रोकने का दोषी बता जेल में डाल दो।

e[; U;k;kèkh'k U;k; er djk cl dkIk– सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीष एन वी रमणा रिटायरमेंट के समय इस कोसने की शैली से जनता के जज होने की पदवी पा गये द्य इन्होंने ही रांची मे पद पर रहते हुए सार्वजनिक मंच से मीडिया को कंगारू कोर्ट चलाने के लिए लताडा था द्य गलत सूचना व ऐजेंडा चलाकर लोकतन्त्र को बर्बाद करने का दोषारोपण करा था व अनुभवी न्यायाधीषों को भी सच व गलत को पहचानने में मुष्किल होने की समस्याओं को निपटाने की जवाबदेही पर चादर ढक डाली थी। इसका अर्थ अदालत से न्याय हुआ तो उनका श्रेय और अन्याय हुआ तो सब मीडिया का करा धरा। यदि लोकतन्त्र की इतनी ही पड़ी हैं तो मीडिया को संवैधानिक चेहरा व कानूनी जवाबदेही वाला अधिकार दे द्ो द्य इसके सामने आते ही हेट स्पीच देने वाले दुम दबाकर भाग जायेंगे। उनके न्यायाधीषों को कुर्सी पर बैठ हर रोज नये–नये कथन हेट स्पीच हैं या नहीं जानने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पडेंगी।

e[; puko vk;ä & ehfM;k jkdrh g LorU= ,o fu"i{k puko djkus e& लोकतंत्र में चुनाव ही उसकी जमीन हैं यदि वो ही स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहीं हैं तो फिर कैसा जनता के द्वारा, जनता से चुना व जनता का शासन द्य राजीव कुमार का कहना हैं कि फर्जी इंटरनेट मीडिया पोस्ट से ऐसा होता हैं। जब मीडिया का संवैधानिक चेहरा ही नहीं हैं तो चुनाव आयोग के कर्मचारी किस पर विश्वास करे वो पहले चुनाव का काम ताक पर रखकर मीडिया की खबरों का फेक चेक करते फिरेकृकृ यदि उन्हें अपने पद की जवाबदेही पर ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठा हैं तो राष्ट्रपति को संविधान की शक्ति का इस्तेमाल जिसे टी एन शेषन ने करा था उसे करके कहें कि मीडिया के संवैधानिक चेहरे बिना स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता जब तक यह स्थापित नहीं होता मैं चुनाव नहीं कराऊंगा।

विधायिका यानी कुर्सी की जगह व लाईन देखकर सच और गलत तय होने वाली जगह बन गई हैं द्य यहां पक्ष और विपक्ष अन्दर कुर्सी पर धरना दे, गेलेरी में धरना दे, सभापति की कुर्सी के पास जाकर चिल्लाये, बाहर आकर महात्मा गांधी के चरणों में बैठ धरना दे और टेलिविजन की डिबेट में जाना छोड़ दे इसके साथ बड़ी–बड़ी बाते कर ले यह सब दिखावटी हैं द्य इन्होंने ही सदन में आपस में हाथापाई कर गाली गलोच निकाल देष के लोकतंत्र में हेट स्पीच को जन्म दिया था द्य राज्यसभा के सभापति यानि उपराष्ट्रपति व लोकसभा स्पीकर ने रिकोर्ड से डिलिट कर संसद की दीवारों में कैद कर न्याय की देवी की आंखों की पट्टी का फायदा उठा न्याय बताकर मामलो का रफा दफा करने की प्रथा शुरु करी थी द्य इसके साथ मीडिया को खुला छोड दिया की कोई नई गाली आये तो वो पुरानी सभी गालीयों को सुना सुनाकर बहस करता रहे कि यह पहले की तरह संसद की रिकोर्डिंग से हटाने लायक हैं या नहीं।

एक सच के अभाव में पूरा लोकतन्त्र व संविधान फंसा पड़ा है

भारतीय तिरंगे के चलायमान चक्र से समय का वह दौर चल रहा हैं जब लोकतन्त्र का स्तम्भ कहलाने वाली संवैधानिक संस्था न्यायपालिका का चेहरा उच्चतम न्यायालय कह रहा हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतन्त्र की हत्या हुई। संविधान पीठ कह रही हैं कि इलेक्ट्राल वोट असंवैधानिक हैं। संविधान के जानकार व विषेशज्ञ कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का जो आपसी ढांचा बनाकर चेक व बैलेंस की जो संविधान निर्माताओं ने जो प्रक्रिया बनाई वो खत्म होने के कगार पर हैं या खत्म हो चुकी हैं।

सार्वजनिक रूप से षिक्षित, बुद्धिजीवी व लोकतन्त्र में किसी न किसी पद पर कार्य करके स्वयं सच्चाई को परख चुके माननीय कह रहे हैं कि जब संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों का चयन जब प्रधानमंत्री व कार्यपालिका के लोग ही करेंगे तो व उनके गलत फैसलों को रोकना तो दूर उस पर अंगुली भी कैसे उठायेंगे द्य सीबीआई प्रमुख के चयन में यह सौलह आना सच उजागर हो गया। चुनाव आयोग के प्रमुख के चयन में सबकुछ धरातल पर सामने आ गया। चयन प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीष को बाहर कर नये कानूनी रूप से सत्ताधारी दल या समूह के लोगों को ही चयनकर्ता कमेटी में बहुमत के रूप में रखने के प्रावधान से सबको बेईमानी की बदबू आने लग गई। अब लोकसभा चुनाव से पूर्व दो चुनाव आयुक्तों के चयन को लेकर मामला फिर उच्चतम न्यायालय, कार्यपालिका व विधायिका के मध्य ले देकर समय व जनता के मुंह के निवाले पर वसूले टैक्स के पैसे पानी में बहाकर वही आ गया, जहां से वो चला था द्य

इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में फिर वही सच्चाई धरातल पर निकलकर सामने आई कि भारत के सबसे बड़े सरकारी भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख व निर्देषकों के चयन में कार्यपालिका, उसके प्रमुख प्रधानमंत्री व सत्ताधारी राजनैतिक दल ही प्रभावी हैं। उच्चतम न्यायालय व जहां तक की संविधान पीठ के आदेषों को नकार देंगे या टालमटोल कर ठंडे बस्ते में डालने की कोषिष करेंगे तो मलाई के रूप में सेवा विस्तार व कोई न कोई पद मिलेगा। यदि नहीं करेंगे तो हाथ से जीवका, चलने वाली नौकरी हाथ से जायेगी नहीं तो हालात ऐसे पैदा कर दिये जायेंगे कि समय से पहले रिटायरमेंट लेकर पारिवारिक मजबूरी के नाम पर घर बैठना पड़ेगा।

इसके विपरित न्यायपालिका की वो संवैधानिक पीठ जिसके सभी न्यायाधीष मीलकर एक फैसला देदे तो उसे संविधान संरक्षक राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकते हैं व निरस्त कर सकते हैं क्योंकि उसे भी संविधान–संरक्षक का दर्जा संविधान ने दे रखा हैं। इसके फैसले को न मानने व टालने से होगा क्या सिर्फ़ फटकार ही लगेगी, कौनसी सजा मिलेगी और फटकार भी सुननी किसको हैं वो तो वकील सुनेगा। इस डेढ होषियारी में कार्यपालिका या तथाकथित सरकार अपने लिए समय निकाल पतली गली से निकल लेती हैं फिर रात गई और बात गई वाला खेल चलता रहता हैं द्य यदि किसी बड़े सरकारी कर्मचारी को भी बली का बकरा बनाना पडे तो क्या फर्क पड़ता हैं, इनकी कमी थोडी हैं । इसके लिए पुरी जमात लाईन में खडी है किसे अपना परिवार और बच्चे प्यारे नहीं लगते।

इस सारी समस्या की मूल जड़ एक छुपाया गया या झूठ बनाकर देषवासीयों के दिल व दिमाग में घुसाया गया सच हैं जिसे आपका साइंटिफिक–एनालिसिस शुरू से बताता आ रहा हैं । न्यायपालिका को अंग्रेजी में ज्यूडिषरी कहते हैं। संसद यानि विधायिका को लेजिस्लेटिव कहते हैं और कार्यपालिका जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं उसे अंग्रेजी में एक्जिक्यूटिव कहते हैं परन्तु उसे गवर्मेंट यानि सरकार रटाकर, समझाकर व इस्तेमाल करके पूरे संविधान का गुड़–गोबर करके रखा हैं। भारत सरकार मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका व पत्रकारिता जिसको चेहरा नहीं दे रखा हैं। को सामुहिक रूप से कहते हैं, जिसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं न कि प्रधानमंत्री।

कार्यपालिका यानि अंग्रेजी में गवर्मेंट यह झूठ हजारों–लाखों बार बोलकर, छापकर, दिखाकर दिल व दिमाग में 200 वर्षों वाली गुलामी की अंग्रेजों वाली खिडकी से इस तरह घुसाया गया हैं कि संविधान की व्याख्या कर समझाने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीष भी धोखा खा जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण रफाल विमान सौदा हैं जो फ्रांस सरकार (राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं) व भारत की कार्यपालिका (प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं) के मध्य हुआ उसे सरकार से सरकार का समझौता कहकर बन्द लिफाफा इधर से उधर घुमाकर व रफाल पर तिलक व टायर के निचे निम्बु रखकर पुरा कर दिया।

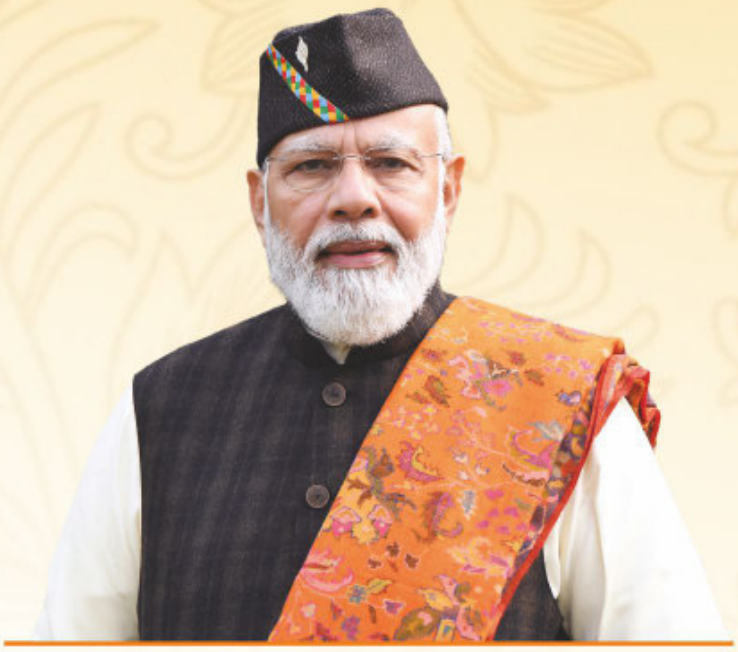

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हरसंभव प्रयास।
आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

"प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखण्ड समय के साथ परिवर्तनकारी विकास का साक्षी बन रहा है। अत्याधुनिक रोपवे परियोजनाओं के साथ-साथ रेलवे, सड़क और हवाई संपर्क की दिशा में प्रगति हो रही है। इससे उत्तराखण्ड में यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि कुशल परिवहन भी सुनिश्चित करते हैं। ये राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। आध्यात्मिक, रोमांचक और सांस्कृतिक पर्यटन के प्रभाव के चलते यह दुनिया भर के आगंतुकों के लिए एक पंसदीदा गंतव्य बन रहा है। हम सतत विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक समृद्ध कल की ओर देख रहे हैं।"

जय हिन्द-जय उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विकसित भारत, विकसित उत्तराखण्ड

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट - 2023 के दौरान राज्य सरकार के साथ कुल 3.5 लाख करोड़ रुपये के हुए निवेश समझौते। जिसमें 81 हजार करोड़ के समझौते की ग्राउण्डिंग।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ धाम का हुआ भव्य एवं दिव्य पुनर्निर्माण कार्य। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य गतिमान।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद मानसखंड यात्रा को मिली नई पहचान।
- चार धामों की कनेक्टिविटी के लिए ऑल वेदर रोड का हुआ निर्माण। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेललाइन का निर्माण कार्य तथा टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन सर्वे का कार्य गतिमान।
- नैनीताल जिले की बहुद्देशीय जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मिली मंजूरी।
- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की लखवाड़ परियोजना को मिली मंजूरी।
- उत्तराखण्ड को दो वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात। देहरादून से दिल्ली एवं देहरादून से लखनऊ का सफ़र हुआ आसान।
- दिल्ली - देहरादून के बीच एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य तेजी से जारी, 2 से 2.5 घंटे में सफर होगा पूरा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना को मिली मंजूरी। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एवं पूर्णागिरी मंदिर तक रोपवे के निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास।
- उधमसिंहनगर के किच्छा क्षेत्र में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य गतिमान। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखण्ड के सीमांत गावों का हो रहा चहुँमुखी विकास।
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट एवं पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु कार्य गतिमान।
- प्रधानमंत्री ने दिया वेड - इन - उत्तराखण्ड का मंत्र। जिसके तहत राज्य सरकार नए वेडिंग डेस्टीनेशन का कर रही निर्माण।

नीति आयोग भारत सरकार की ओर से एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी की गई है।
रिपोर्ट में उत्तराखण्ड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।
www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

मीडिया के संवैधानिक चेहरे के अभाव में बिखर रहा हैं न्यायपालिका का स्तम्भ

एक भवन अपने चारों कोनों के पिल्लर/स्तम्भ पर टिका होता हैं द्य यदि इसमें से एक पिल्लर/स्तम्भ नहीं हो या हटा दिया जाये तो उसका दबाव अन्य तीन स्तम्भों पर पडता हैं और भवन को डामाडोल कर देता हैं द्य यही सच्चाई हमारे लोकतन्त्र सिस्टम की हैं द्य यहां भवन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हैं जिसके शीर्ष पर संविधान संरक्षक राष्ट्रपति का भवन हैं और इसके तिनों कोनों में विधायीका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का स्तम्भ हैं परन्तु चौथें कौने में कोई स्तम्भ नहीं हैं द्य जुबानी कहने, सुनने के लिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ हैं परन्तु इसका कोई संवैधानिक चेहरा नहीं हैं।

इस चौथें स्तम्भ के अभाव में सबसे ज्यादा दबाव न्यायपालिका वाले स्तम्भ पर आ रहा हैं, जिसके कारण वो जर्जर हो चुका हैं व अब धीरे–धीरे बिखराव की तरफ बढ़ रहा हैं द्य वर्तमान में न्यायपालिका का कॉलेजियम सिस्टम व उस पर विवाद और केन्द्रीय कानून मंत्री का कार्यपालिका की तरफ से बयान एवं उपराश्ट्रपति का देष के सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों की मीटिंग के मच से जुबानी गर्जना व बरसना इसी बिखराव को जगजाहिर करता हैं।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा मंत्रियों के बयानों को कार्यपालिका का दिया बयान न मानना कागजी रूप से न्यायपालिका के बिखराव के क्षणीक कारण को रोकता हैं द्य इसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉलेजियम सिफारिष की मीटिंग के मिनिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना स्तम्भ की मजबूती को बताना हैं व इस सच्चाई को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेषों को हिन्दीं व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी देना जनता का समर्थन प्राप्त करना हैं द्य इसकी षुरूआत 26 जनवरी से 10 भाशाओं के साथ हो गई हैं द्य

अब न्यायिक तंत्र से जुड़ें रहे भूतपूर्व न्यायाधीषों, ऐडवोकेटों, सलाहकारों का मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक बयानों द्वारा बिखराव के लिए बाहरी कारकों (सरकारी तन्त्र की खामियां, दबाव, ढुलमुल रवैया, समय की बर्बादी, संसाधनों का अभाव इत्यादि – इत्यादि) से लड़ना व प्रतिरोध दीवार का निर्माण करने का कार्य हो रहा हैं द्य 22 जनवरी, 2023 को आयोजित 135वें राश्ट्रीय आरटीआई जूम मीटिंग इसी दिषा की ओर ईंषारा करती हैं द्य

यहां पर मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ का सिर्फ खयाली व जुबानी होना और संवैधानिक चेहरे की रित्तिका की वजह से न्यायपालिका से जुड़ें लोगों द्वारा प्रस्तुत सभी तर्क, आधार, सच्चाई, कागजों की रद्दी, टेलीविजन पर मनोरंजन के साधन व सोषियल मीडिया में बिना किसी लक्ष्य के इधर–उधर फोरवर्ड, शेयर होकर ई–कचरे के रूप क्षीण होते जा रहे हैं द्ययह सभी तर्क, आधार, सच्चाई व अनुभव संगठित होकर व्यवस्था को विकसित व मजबूत नहीं कर पा रहे हैं ताकि बिमारी जड़ से ही खत्म हो जाये।

कार्यपालिका यानी तथाकथित सरकार ने आदेष जारी कर अपनी शक्ति और कानून बनाने के अधिकार से सम्बद्धित सरकारी कर्मचारियों को उसकी हर बात को मानने पर विवष कर दिया अन्यथा घर भेजने का द्वार बता अपने स्तम्भ को मजबूत बना लिया द्य इसके विपरीत न्यायिक तन्त्र के लोग पक्ष – विपक्ष में बंटकर राजनीति की भेद नीति के षिकार हो रहे हैं व न्यायपालिका के स्तम्भ को नया व मजबूत बनाने के नाम पर बिना किसी ठोस योजना व रूपरेखा के पुराने स्तम्भ

को ही हथौड़ा पटक – पटक के तोड़ कर्तव्य पथ पर आवरा जानवरों की तरह आ रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीष भी हमारे भेजे गये प्रमाण सहित ईमेल से दिल व दिमाग से समझ गये कि भारतीय मीडिया का संवैधानिक चेहरा नहीं हैं और कोई कानूनी जवाबदेही वाला अधिकार नहीं दे रखा हैं द्य इसलिए 22 जनवरी, 2023 को देष में पहली बार बार काउंसिल ऑफ महाराश्ट्र एंड गोवा (बीसीएमसी) की तरफ से बने श्रेत्रीय एयर न्यूज़ ल व्यूज चौनल की षुरूआत करी द्य इसे धीरे – धीरे हर राज्य में लागू करा जायेगा द्य लाखों मामलों के अदालतों में पेंडिग होने के बावजूद भी न्यायपालिका से जुड़ें लोग खबरें बनाने व विज्ञापन लाने व बनाने का काम भी अतिरिक्त करेंगे द्य इससे विज्ञापन के लालच में न्याय के पैंसों में बिक जाने का खतरा मोल लेना पड़ रहा हैं द्य विधायीका व कार्यपालिका भी चुप रहकर इसे भी अपने साथ खड़े में गिरा रही हैं क्योंकि इन्होंनें ही अपने अपने क्षेत्रीय चौनलों को खोलने की शुरूआत करी चाहें उन्हें जनता का पैसा बर्बाद कर अधिकांष को बन्द करना पड़ा।

केन्द्रीय कानून मंत्री का बयान की वो चुनाव से चुनकर आते हैं जबकि न्यायपालिका में बिना चुनाव के आते हैं, अपनी संकुचित मानसिकता के कारण संविधान की भावना व सोच को न समझ पाने की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना हैं द्य सामाजिक जीवन के हर कार्यक्षेत्र का बन्दा सर्वोच्य पद तक पहुंचे यह संविधान चाहता हैं क्योंकि सभी मनुश्य एक ही क्षेत्र में दक्ष नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी रूचि, विषिष्टता एवं योग्यता होती हैं जिसके माध्यम से वो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य एवं निश्ठा को समर्पित करते हैं द्य न्यायिक कॉलेजियम सिस्टम में कार्यपालिका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से अपना प्रतिनिधि घुसाना चाहती हैं तो व पहले अपने हर जांच कमेटियों में न्यायिक तन्त्र को घुसाकर आदर्ष प्रस्तुत करे न कि रिटायर्ड न्यायाधीषों का मुखौटा लगा बैठ जाये द्य संसद व विधानसभाएं स्वयं न्यायिक फैसला सुना संविधान की मर्यादा को ताक पर रख देती हैं जिसका प्रतिफल इनके यहां से पैदा हुई हेट–स्पीच की बिमारी पूरे सिस्टम व समाज में फैल चुकी हैं के एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं।

यदि न्यायपालिका मीडिया के चौथे स्तम्भ को संवैधानिक चेहरा दिला दे जो कानूनन न्यायसंगत हैं तब लोकतंत्र के चारों स्तम्भों की थ्योरी परिभाषित व प्रायोगिक रूप से सत्यापित हो जायेगी द्य इससे लोकतंत्र मजबूत हो जायेगा और न्यायपालिका के स्तम्भ पर दबाव घट जायेगा परन्तु चक्र के रूप में आगे गतिमान समय के अनुरूप इसे अपने में बदलाव व परिवर्तन लाकर गतिषील बनना पड़ेगा जिसमें न्यायाधीषों की चयन प्रक्रिया भी आती हैं।

हम पहले ही संविधान के अनुसार देष को असली मालिक व असली सरकार आम जनता और मुख्य न्यायाधीष के संज्ञान में ला चुके हैं कि सभी हेट–स्पीच के मामलों में मीडिया के समाहित होने के आधार को लेकर एकत्रित कर उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीष सामुहिक सुनवाई करे व मीडिया को परिभाषित कर संवैधानिक चेहरे से उसे कानूनन जवाबदेही बनाये द्य यह संविधान के अनुसार अपने आप में सबसे बड़ी संविधान पीठ हैं और राष्ट्रपति के समान संविधान संरक्षक भी, यदि इसमें भी तारिख के नाम पर समय बर्बाद करा तो स्वार्थ, लालच, कालेधन व व्यक्तिवाद से नया पनपा गोदी मीडिया अदालतों के हर फैसले व बयानों को तोड़ मरोड़कर कर स्वाह कर देगा।

गौमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा अभियान के अन्तर्गत दिल्ली में पंचदिवसीय द्वितीय गौ–संसद

गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गौहत्या मुक्त भारत बनाने हेतु संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे महाभियान के अंतर्गत देष की राजधानी दिल्ली में द्वितीय गो संसद में होने जा रही है। सनातन धर्म में गाय को पषु नहीं अपितु माता की प्रतिष्ठा दी गई है जिसकी महिमा वेद, उपनिशद, पुराणों सहित समस्त शास्त्रों में गायी गई है और यही सनातन धर्मी हिंदुओ की पवित्र भावना है, आस्था है। इसी धार्मिक आस्था हेतु संविधान एवं कानून में गाय को पषु सूची के अपमान से हटाकर माता की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए यह अभियान निरन्तर जारी है जिसके लिए राज्य सूची से हटाकर इसे केंद्रीय विधि की सूची में डालने की मांग हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्त से ही निरन्तर गौमाता की प्रतिष्ठा एवं रक्षा के प्रयास होते रहे है जिसमें 1966 के धर्म सम्राट यतिचक्रचूणामणि पूज्य करपात्री जी महाराज जी के निर्देषन में हुआ प्रचलित गौरक्षा आंदोलन है जिसके लिए हजारों गौभक्तों का बलिदान हुआ था। गौ कथावाचक पूज्य गोपाल मणि जी ने इसी आंदोलन को देषभर में जीवन्त रखा तथा इस पवित्र अभियान में चारो पीठों के शंकराचार्यों का आषीर्वाद प्राप्त किया जिस हेतु चारो पीठों के पूज्य जगद्गुरू शंकराचार्यों द्वारा प्रयागराज में आयोजित प्रथम रामा गो संसद में गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने एवं गौहत्या बंदी कानून सहित 21 बिंदु का धर्मादेष भी पारित किया गया था जिसे देष के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित संबंधित मंत्रालयों में भेजा गया था। इस गो संसद से पारित प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा कोई उचित कार्यवाही ना होने के बाद

पूज्य ज्योतिषापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

जी महाराज जी के नेतृत्व में नंगे पैर पदयात्रा गोवर्धन से दिल्ली तक निकाली गई जिसमें गो कथावाचक पूज्य गोपाल मणि जी सहित अनेक संतो के साथ देष भर से आए गौभक्त माता बहन भाइयों ने प्रतिभाग किया तथा शंकराचार्य जी द्वारा गौभक्त स्मारक स्थल संसद भवन में 1966 के गौ बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर गो प्रतिश्ठा का पुनः संकल्प लिया गया। पूज्य जगद्गुरू ज्योतिश्पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के निर्देषन में आज गौ प्रतिष्ठा का अभियान निरन्तर गतिमान है जिन्होंने इस संवत्सर को गौ संवत्सर के रूप में घोषित किया है तथा इस समय चातुर्मास महोत्सव में देष की राजधानी दिल्ली में विराजमान हैं। इस उचित अवसर पर भारत की राजधानी दिल्ली जहां भारत की संसद कानून बनाती वहां गौमाता की पुकार को नजदीक से सुनाने के लिए गौमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा अभियान के क्रम में इस वर्ष द्वितीय रामा गो संसद भारत की राजधानी दिल्ली में दिनांक 2 अगस्त से 6 अगस्त तक रखी जा रही है। इस गौ संसद में देष भर के अनेकों प्रतिष्ठित संत, 543 गो सासंद सहित सेकडो लोग प्रतिभाग करेंगे।

राष्ट्रपति को आत्महत्या के मार्ग पर जाना तो जाये, परन्तु दुनिया को जीने दे

मैं इसे हिन्दी भाषा में लिख रहा हूं ताकि मुझे मानव प्रजाति को बचाने के लिए अगले कदम (राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखा व वैचारिक दायरा लांघना) उठाने के बाद राष्ट्रद्रोही न समझा जाये।

मीडिया को लोकतंत्र का अछूत बनाकर जीने को मजबूर कर रखा हैं।

संवैधानिक कुर्सी (राष्ट्रपति) के लंगडेपन को सही न करके देषवासियों के सामाजिक जीवन में जहर घोला जा रहा हैं। ख़तरनाक वायरसों की श्रृंखला को जारी रख मानव प्रजाति के विनाष का द्वार खोल रखा हैं। विश्व में आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट के मध्य भारत को बचाने की अग्रीम योजना को खूंटी पर लटका रखा हैं। पहली बार एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था के भारत में स्थापित होनै के मार्ग को रोककर विश्वगुरुश्के गौरव वाले शब्द को हेट स्पीच में परिवर्तित करा जा रहा है।

भारत में करीबन नई 5000 कम्पनीया खुलने के प्रस्ताव को कागजी रद्दी बनाया जा रहा हैं। दूसरे देषों पर प्रतिबंध लगाने के विषेषाधिकार को भारत से वंचित रखा जा रहा हैं।

पेट्रोलियम पदार्थों (पेट्रोल, डीजल, गैस) की मूल्यवृद्धि को स्थाई रखकर महंगाई को नियंत्रित करने की योजना को दबाकर देष की आम जनता को महंगाई डायन का निवाला बनाया जा रहा हैं। स्कूल कालेजों से पढकर निकलने वाले हर छात्र लखपति व करोड़पति बनकर निकल सके उस पाईलेट प्रोजेक्ट को हर सरकारी टेबल की धूल चटवाई जा रही हैं।

चीन व पाकिस्तान जैसे देषों को चुप बैठा देने के कूटनीतिक हथियार को जंग लगाई जा रही हैं व देष के वीर सैनिकों को मौंत के मुंह में धकेला जा रहा हैं। संवैधानिक संस्थाओं (कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायीका, रिज़र्व बैंक, चुनाव आयोग) में त्राहीमाम, त्राहीमाम हो रहा हैं तब भी लोकतंत्र के संरक्षक होते हुए चुप्पी से भक्षक का काम किया जा रहा हैं।

'kyUæ fcjk.kh] oKkfud

प्रदेश के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि से नुकसान की सीएम ने ली जानकारी

देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केन्द्र से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी ली। सचिव आपदा प्रबंधन को उन्होंने निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाये रखें। अतिवृष्टि के कारण राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिलाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता मांगे जाने पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने बालगंगा एवं बूढ़ाकेदार क्षेत्र के प्रभावित गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को भी शीघ्र से शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी जनपदों को इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल ३१५ करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर जनपदों को और भी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिलाधिकारी हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी से बारिश की स्थिति, जानमाल के नुकसान, जलभराव की स्थिति, सड़कों, पुलों, पेयजल और विद्युत की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अगले २४ घण्टे सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखें। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए और उनके रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी जाए।

सहस्रधारा में तीन कांवड़िये बहे, दो की मौत, एक को बचाया

देहरादून(आरएनएस)। सहस्रधारा में गुरुवार शाम बड़ा हादसा हुआ। नहाते वक्त दिल्ली के तीन कांवड़िये तेज बहाव में बह गए। इनमें दो की मौत हो गई। एक को जिंदा बचा लिया गया। घायल को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजपुर थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि दिल्ली के सुल्लतानपुरी इलाके के निवासी कई कांवड़िये गुरुवार दोपहर सहस्रधारा पहुंचे। करीब तीन बजे वह वहां नहा रहे थे। इस दौरान सहस्रधारा में बहाव काफी तेज था। नहाते वक्त इनमें एक का पैर फिसला। वह पानी में बहने लगा। दो साथी बचाने को नदी में कूदे। तीनों तेज बहाव में बहने लगे। इनमें एक ने कुछ दूरी पर पत्थर पकड़कर खुद को बचाया। जबकि, दो दूर तक बहते चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पहले पत्थर के सहारे फंसे युवक को निकाला। उसे गंभीर हालत में कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अन्य दो की तलाश की गई।

एक ईमानदार वकील चाहिए

महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए।

महामहिम की नजरों में पहले भगवान सा वकील था, इसलिए एक ईमानदार वकील चाहिए। लोग रैली नहीं रैला निकाल रहे हैं, उन्हें बस एक ईमानदार वकील चाहिए।

एक वकील आम्बेडकर को ईंसान से भगवान बना रहे हैं, क्या करे उनके जैसा ईमानदार वकील चाहिए। महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए।

हर चीज के भाव दुगुने से चौगुने हो रहे हैं, इसे अदालत को बताने के लिए एक वकील चाहिए। मुख्य न्यायाधीष सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को, कानून व नियमों की सलाह बांट रहे है। एक चिट्ठी व खबर पर स्वयं मामला लेने की प्रथा भूल, मुफ्त की सलाह से जनता के वकील होने का तमगा मांग रहे हैं। महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। सरकार दुगुने से चौगुने होते वस्तुओं के भाव को, विकास का गगनचुंबी झण्डा बता रही है। दुनिया भर में चिल्ला–चिल्ला कर ढोल के ढोल फोड रही हैं, बस एक ईमानदार वकील चाहिए।

संसद का क्या कहना; अन्दर बैठे लोग अखबारों की प्रतियां लहरा–लहरा के अच्छे दिनों की हवा खा रहे हैं। बचे लोग बाहर मुर्तियों की छांव में क्लेजे को ठंडक देकर, अपने पर चल रहे मामलों व छापों से ठंडक मांग रहे हैं। महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। ईमानदार मीडीया विज्ञापन पर विज्ञापन छाप रही हैं, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। चौनल वाले अपने एंकरों की लम्बी नाक व टेढी गर्दन से सूट–बूट वालों की छांव मांग रहे हैं।

पब्लिक वाले अपने–अपने चौनल बना, वस्तुओं के भावों के ग्राफ से झंडे की ऊंचाई माप रहे हैं। गरीब अपनी–अपनी जान हथेली पर रख; रैली का रैला बना रही हैं, उसे बस दो वक्त की रोटी चाहिए। महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। कम्पनीयां महीनें के दिन घटा–घटा कर राग सुना रही हैं और समय से पहले पैसा मांग रही हैं। जनता के सेवक आकडों को घटा–बढ़ा कर, न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी बांध रहें हैं। रिजर्व बैंक रेपो व रिवर्स रेपो रेट के पहियों से उबड़–खाबड़ वाली महंगाई दर की सड़क पर पलटी खा रही हैं। बैंक लोगों के खातों का बैलेन्स देख, मीनीमम के नाम पर खाली पेट छोड़ जेब काट रही हैं। महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए।

पेट्रोल – डीजल – गैस की धार में सरकार को टैक्स नहीं आधे से ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए। इसे अदालत को बताने के लिए, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। आटे में नमक जितने टैक्स की संस्कृति वाली छांव में, 10: फिसदी से ज्यादा पर भ्रष्टाचार की कालीख वाली छांप चाहिए। 50: फिसदी वाली अदालत की रिजर्व रेखा के उल्लंघन को बताने के लिए, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। क्रूड आँयल के बास्केट में शेयर बाजार की चमक जैसी, हर रोज की धड़कन को स्थिर करने के लिए. कृ बस एक ईमानदार वकील चाहिए। एक ही कुंए से सारा पानी निकाल लेनी की सरकारी जिद्द को बताने के लिए एक ईमानदार वकील चाहिए। महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। आम्बेडकर जैसे वकील को लाने गरीब, अपेक्षित, भूखे–प्यासे लोंग परिवार सहित ऊपर जा रहे हैं। महामहिम को अपने आफिस में वर्षों से पडी फाईल को समझने के लिए, बस एक ईमानदार वकील चाहिए। आम्बेडकर की जयन्ती का शौर सुन महामहिम फाईटर विमान से आसमान को चीर रही हैं, उन्हें तो बस एक ईमानदार वकील चाहिए। लोगों को बस एक आँस महामहिम हवा–हवाई छोड़ धरा पर पैर रखेगी क्योंकि उन्हें तो महंगाई से मुक्ति व दो वक्त की रोटी चाहिए. कृ इसे बताने के लिए एक ईमानदार वकील चाहिए। महंगाई को लेकर देष का यही हैं हाल, बस एक ईमानदार वकील चाहिए।

भट्ट ने की, सदन में उत्तराखंड के लिए आपदा मुआवजा में सुधार की मांग

देहरादून 1 अगस्त। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेष अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने सदन से उत्तराखंड एवं पर्वतीय के लिए आपदा मुआवजा राषि में वृद्धि करने की मांग की है । जिसमे उन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानकों में संषोधन का अधिकार राज्यों को सौंपने का भी आग्रह किया। साथ ही राज्य के दूरस्त क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का मुद्दा उठाया।

राज्यसभा में अपने संबोधन में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक एवं आपदा की परिस्थितियों की और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया ।जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्र के लिए मुवाबजे की धनराषि में वृद्धि की जाए। वहीं मानकों में भी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संषोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़ भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवष्यक प्रतिपूर्ति तथा भवन क्षति एवं कृषि भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर मिलने वाले मुवाबजे में वृद्धि को आवष्यक बताया। साथ ही कहा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य एवं जनपदों में गठित है परंतु केंद्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों के दिषा निर्देष में ही मुआवजा की राषि देने का राज्यों को अधिकार है।

इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा, में जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पर दैवीय आपदा के बार–बार आने से लोगों को विस्थापित करना बड़ी चुनौती होता है। वही आपदा में क्षतिपूर्ति दर इतनी कम होती है कि प्रभावितों को न्यायोचित आर्थिक राषि नहीं मिल पाती है। वहीं पहाड़ों में मट्टी और पत्थर से बने पहाड़ी शैली के मकान होते हैं इन्हें पक्के मकान की श्रेणी में नहीं माना जाता है और ये परिवार मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। वहीं कुछ मकान भूस्खलन क्षेत्र में पूरी तरह धराषाई नहीं होते परंतु उन मकानों पर रहना बहुत ही खतरे के दायरे में रहता है । लेकिन आपदा का मानक है कि जब तक मकान पूर्णतया धराषाई ना हो जाए उन्हें मुआवजा श्रेणी में नहीं लिया जाता है जिससे इन परिवारों को मिलने वाले मुवाबजे से वंचित रहना पड़ता है। पहाड़ों में छोटे जोत के खेत होते हैं, तथा बाढ़ एवम भूस्खलन से यह खेत पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाते हैं परंतु आपदा मानक के अनुसार इन खेतों को मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता है उन्हें अपने खेतों को फिर से खेती योग्य करना संभव ही नहीं है, और अच्छे खासे खेत भी बंजर हो जाते है। इसे इस लोक महत्व का विषय बताते हुए उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्शित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्र के लिए मुवाबजे की धनराषि में वृद्धि की जाए तथा मानकों में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संषोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया जाए।

साथ ही भट्ट ने उत्तराखंड से संबंधित मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को भी सदन में उठाया। सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने राज्य में भारतीय संचार निगम द्वारा दी जाने वाली मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधाओं में अधिक सुधार करने की जरूरत बताया। पहाड़ी राज्य होने के कारण दूर दराज के गांव को आज के समाचार क्रांति से जोड़ने के उद्देष्य से राज्य के 6000 अतिरिक्त गांव को संचार सुविधा से जोड़ने का निष्चय किया था, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 2000 के आसपास गांव को ही इस सुविधा से जोड़ा जा सका है। बीएसएनएल द्वारा 1206 नए टावर लगाने के लक्ष्य को भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है और दूर दराज के क्षेत्रों में जो टावर लगे हैं उनके द्वारा भी मोबाइल कनेक्टिविटी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आज जहां अन्य मोबाईल कंपनियां नेटवर्किंग की सुविधा उपभोक्ताओं को दे रही है।

साइंटिफिक-एनालिसिस

नौकरियों के साक्षात्कार में मच रही भगदड़ों का गुनहगार राष्ट्रपति-सचिवालय

भारत यानि इंडिया, इंडिया यानि भारत में चल रहे अमृतकाल के अन्दर जैसे ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सरकारी प्रक्रियाओं से त्रस्त गरीब व बेरोजगार लोगों के लिए अमृत की एक नगण्य मात्र सी बूंद जब नौकरी के रूप में टपकाने की खबर आती हैं तो साक्षात्कार के रूप में हजारों की भीड़ पहुंच जाती हैं और उस अमष्त बूंद को हासिल करने नहीं सिर्फ देखने भर के चक्कर से पहले भगदड़ मच जाती हैं और प्रसाद के रूप में शरीर पर चोटे मीलती हैं व खुषकिस्मत होने पर अस्पताल में भर्ती कराने का तीन दिन और दो रात जैसा ईनाम दिया जाता हैं द्य गुजरात के भरूच की घटना व मुम्बई में एयर इंडिया की नौकरीयों के लिए कई गुना बेरोजगारों का पहुंचना सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं।

इसी तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता गया तो आने वाले समय में दुखद दुर्घटना घटने की सम्भावना बढ़ जायेगी द्य इसके बाद जो गिने-चुने लोग नौकरीयां दे रहे है वो गायब होंगे लगेंगे क्योंकि सरकारी तन्त्र उन पर कई शर्तें साक्षात्कार से पहले पुरा करने का नियम आर्थिक शुल्क के साथ बना देगा द्य इसके अतिरिक्त भाई-भतीजावाद और एजेन्टों के जरिये अभ्यर्थियों को ही लूटने का दौर शुरु हो जायेगा द्य बेरोजगारों में इस तरह की भगदड़ व छोटे स्तर की नौकरियों के लिए भी इस तरह की मारामारी व आने वाले समय में उनकी मौंत जो हत्या कहलायेगी उसकी साजिष राष्ट्रपति-सचिवालय के अधिकारियों ने करी हैं। यदि राष्ट्रपति-सचिवालय ने साजिष न रची होती और राष्ट्रपति इतने योग्य व जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित होते तो वे अपने नाक के निचे ऐसी साजिष होने ही नहीं देते द्य राष्ट्रपति यह सभी जानकारी होने के बाद स्वयं पर्दे के पीछे से ऐसा करवा रहे होंगे इसकी सम्भावना कम लगती हैं क्योंकि सचिवालय के कर्मचारियों ने जिस फाईल को दबानै, छुपाने व खत्म करने की साजिष रची उसी से जुडा मामला एक राष्ट्रपति के मौत का कारण बन गया द्य इस फाईल पर फैसला ले लिया होता तो अभी देष में नई नौकरियों की बाढ़ आ रही होती और काम करने के लिए खाली बैठे लोग नहीं मिलते।

यहाँ बात हो रही हैं साढे तीन किलोग्राम वाली फाईल की जिसमें दुनियाभर के दस्तावेज प्रमाणों के रूप में लगे थे द्य अनुरोध वाली यह फाईल एक आविश्कार से जुडी हैं जिसका पेटेंट पहले ही हो चुका था व आविश्कारक ने दुनियाभर से मिले अरबों-खरबों के आर्थिक प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को यह लिखकर भेज दिया कि सबकुछ भारत सरकार के अधीन रहे कोई एक कम्पनी या आदमी भगवान न बन सके क्योंकि यह एक मिनिट में मर रहे एक ईंसान को बचाने का मामला हैं द्य भारतीय संविधान व भारत सरकार के अनुसार एक आविष्कारक को जितना मिलना चाहे उतना दे दे ताकि वो भी समाज व देष में जीवनयापन कर सके बस इतनी सी शर्त रखी थी द्य समय की बर्बादी को देखते हुए आगे पत्र द्वारा सुचित करा कि यदि योजना व आविष्कार समझने में समस्या हो तो उन्हें मिलने का समय दे द्य इस पूरे मामले को धरातल पर कैसे सच्चाई में बदलना हैं उसकी भी योजना का प्रारूप भी भेज दिया था।

इस आविश्कार से जुडें उत्पाद को लेने के लिए चालीस से ज्यादा देषों की कम्पनीयों ने प्रस्ताव दिये थे वो भी उनके नाम, पते व आधिकारिक सम्पर्क माध्यम के साथ फाईल में भेजे थे द्य भारत को तो अपने जमीन पर सिर्फ़ बनाकर भेजना था वो भी प्रतिदिन पच्चीस फीसदी ग्रोथ रेट के साथ द्य उत्पाद यूज एंड थ्रो केटेगरी का था इसलिए जो डिमांड आज हैं वो अगले दिन उससे भी ज्यादा रहने वाली हैं। इस उत्पाद को बनाने के लिए पैसा कहां से आयेगा, मषीने व सेट-अप इत्यादि-इत्यादि की दुनियाभर की जानकारी प्रमाणित दस्तावेज के साथ दी क्योंकि करिबन पांच हजार नई कम्पनीयां खुलती द्य यह सबकुछ 2011 में भेज दिया गया था व अन्तिम फैसले के लिए राष्ट्रपति अधिकृत कर दिये गये थे तब भी राष्ट्रपति-सचिवालय के अधिकारियों ने फाईल को कभी इस टेबल तो कभी उस टेबल पर भेज-भेज कर राष्ट्र व उसकी जनता को विनाष की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया द्य इसमें सबसे बडी बात फाईल कानूनी रूप से राश्ट्रपति के नाम पर गई और रिसिव भी करी गई। सन 2011 से लेकर आजतक समय-समय पर रिमांइडर जा रहे हैं परन्तु सबकुछ राष्ट्रपति के संज्ञान में लाये बिना इधर-उधर भेजकर कच्चें के डिब्बे में फेंका जा रहा हैं। मीडिया भी लगातार सामने ला रही हैं, उन सभी की हार्डकॉपी को भी राष्ट्रपति भवन भेजा व बाद में जन सूचना आधिकार (आर.टी.आई.) के माध्यम से भी जवाब मांगा तब भी राष्ट्रपति-सचिवालय ने घुमा फिरा कर कचरे के ढेंर में फेक दिया व भारतीय जनता, मीडिया व दुनिया की अन्तर्राश्ट्रीय संस्थाएं जिन्होंने इस आविश्कार पर अपनी प्रतिक्रिया व बधाईयां दी उन्हें लोकतन्त्र व भारतीय संविधान का इसलिए चेहरा दिखा दिया।

राष्ट्रपति-सचिवालय के अधिकारियों ने एक आविश्कार को खत्म नहीं किया बल्कि एक आविश्कार के माध्यम से पूरी दुनिया में लागू करने व अरबों-खरबों के आर्थिक तन्त्र को नये समय व परिस्थितियों के अनुरूप कैसे स्थापित करना हैं उस पालिसी की भ्रूण हत्या कर दी द्य कार्य के आधार पर आज हजारों क्षेत्रों में काम हो रहा हैं व हर क्षेत्र में रोज नये-नये आविश्कार सामने आ रहे हैं जब एक आविश्कार से लाखों नौकरीया पैदा होती तो इतने सारे आविश्कारों से करोडों नौकरीया व अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होना निष्चित है। नौकरीयों के साक्षात्कार में मच रही भगदड़ों का गुनहगार राष्ट्रपति-सचिवालय

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राज्य आंदोलनकारी

देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विभिन्न मांगों पर गुरुवार से शहीद स्मारक देहरादून में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। राज्य आंदोलनकारी सयुंक्त मंच के तत्वावधान में आंदोलनकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर धरना शुरू किया। इस दौरान वरिष्ठ आंदोलनकारी उर्मिला शर्मा, ओमी उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में १० फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का राजनीतिक लाभ ले रही है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा। देवेश्वरी रावत, यूकेडी की प्रमिला रावत ने कहा कि वो २०२१ में चिह्निकरण के फॉर्म जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करवा चुके हैं, लेकिन तीन साल बाद भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। सरकार आंदोलकारियों के फार्म दबाकर बैठी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आंदोलनकारी मुख्यमंत्री से भी मिले थे, जिन्होंने मांगों पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन से आगे बात नहीं बढ़ पाई। आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं की गई, तो उग्र आंदोलन होगा। मौके पर दिनेश भारद्वाज, अंबुल शर्मा, राम किशन, पुष्पा देवी, क्रांति अभिषेक, प्रदीप कुकरेती, बलबीर सिंह नेगी, विपुल नौटियाल, जबर सिंह पावेल, जगदीश चौहान, पुष्पराज बहुगुणा, क्रांति कुकरेती, गीता बिष्ट, सत्या डोगरा, सूर्या बमराड़ा, विजेंद्र रावत, दीपक गैरोला आदि मौजूद थे।

स्तनपान से फीसदी कम हो जाता है नवजात की मौत का तरा : स्वाति भदौरिया

देहरादून(आरएनएस)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एमडी स्वाति भदौरिया ने कहा कि नवजात के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मां का दूध बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मां के दूध का सेवन करने से नवजात शिशुओं के मौत की दर में २० फीसदी कमी आ जाती है। गुरुवार को स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ करते हुए भदौरिया ने कहा कि मां का दूध शिशु के व्यापक मानसिक विकास के साथ ही शिशु को डायरिया, निमोनिया एवं कुपोषण से बचाने में कारगर होता है। नियमित स्तनपान से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को २० प्रतिशत तक, डायरिया से होने वाली मृत्युओं को ११ गुना तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिशु के जन्म उपरांत पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराना आवश्यक है और पहले छः माह तक केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मां के दूध से एंटीबॉडी सीधे बच्चे तक पहुंचती है। जो बच्चे की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों से सम्बन्धित एचपीसी की बैठक

देहरादून(आरएनएस)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य में प्रस्तावित ३८वें राष्ट्रीय खेलों से सम्बन्धित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक सचिवालय में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव रतूड़ी ने आज की बैठक में उत्तराखण्ड में पहली बार प्रस्तावित ३८वें नेशनल गेम्स की तैयारियों के सम्बन्ध में देहरादून, हल्द्वानी, रूद्रपुर, हरिद्वार, टिहरी व पिथौरागढ़ में निर्धारित आयोजन स्थलों, स्टेडियम व खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की तैयारियों तथा इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने जा रहे उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन तथा इस सम्बन्ध में गुजरात एव केरल राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने, नेशनल गेम्स के आयोजन के दौरान सुरक्षा व कानून व्यवस्था,

व जन जागरूकता हेतु नोडल अधिकारी नामित करने पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने प्रस्तावित नेशनल गेम्स हेतु आईस रिंक, अर्न्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, टेनिस कोर्ट व घुड़सवारी के मैदानों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास व रेनोवेशन कार्यों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान ३८वें नेशनल गेम्स के सफल आयोजन में खेल विभाग की सहायता के लिए एक स्पोर्टस प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट स्थापित करने तथा गेम्स मेनेजमेंट सिस्टम को संचालित करने के लिए एकीकृत स्पोर्टस पोर्टल व एप्प को डिजाइन व डेवलप करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, विशेष सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली सहित खेल विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

भारतीय मीडीया को संवैधानिक चेहरा मिलने का लोकतांत्रिक तरीका

जुबानी तौर पर सिर्फ बोले जाना वाला लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया न तो धरातल पर मूर्तरूप से हैं और न इसकी कोई प्रक्रिया और व्यवस्था हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करे व उसे समय के बढ़ते चक्र के साथ विघटन से बचाकर स्थाईत्व प्रदान करें द्य आपके साइंटिफिक–एनालिसिस द्वारा राश्ट्रपति को वर्ष 2011 में ही सांकेतिक रूप से उनके संवैधानिक पद की गरिमा को व्याखित करने के प्रारूप में यह सच सामने आ गया और दुनिया में पहली बार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ग्राफिक्स रूप का उद्भव हो गया द्य इसके लिए प्रमाणित दस्तावेज हमारे आविश्कार को देष व दुनियाभर से मिले समर्थन के कागजों के रूप में महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचे द्य यह बात अब दिन दुगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से हर मीडियाकर्मी और देष के नागरिकों तक पहुंच रही हैं।

अब बात आती हैं कि मीडीया को यह संवैधानिक चेहरा व जवाबदेही वाला कानूनी अधिकार मिलेगा कैसे? जो आंदोलनों, तोड़फोड़, सविनय अवज्ञा विरोध, भारत बंद, विरोध–प्रदर्षनों, अहिंसक पैदल मार्च आदि से जनता को परेषान किये बिना, किसी व्यक्ति आधारित सर्वेसर्वा राजनैतिक दल व किसी बड़े राजनैतिक दल के बड़े राजनेता के चरणों में लेटे बिना और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े गिने–चुने व्यक्तियों को नेता बना या गरीब, कमजोर, निचले स्तर के पत्रकारों को बलि के बकरे के रूप में बलिदान कराये बिना वर्तमान में चल रही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शांति, सौहाद्र, एकता, भाईचारे और बुद्धिमता से पूरा हो जाये।

मीडीया का संवैधानिक चेहरा हर पत्रकार के लिए जरूरी हैं क्योंकि उसके पेषे के साथ सामाजिक रूप से आन–बान–षान और जीवन की सुरक्षा एवं स्थाईत्व से जुड़ा हैं द्य इसमें राष्ट्र निर्माण करने की भूमिका, आपराधिक एवं बाहुबली लोगों की सच्चाई उजागर करने पर उनसे सुरक्षा, कार्य के दौरान कोई दुर्घटना व अप्रिय घटना हो जाने, जीवनपर्यंत कार्य के बाद पेंषन, असमय चले जाने पर परिवार को संरक्षण, सच्चाई, निष्ठा व ईमानदारी वाले कार्य को पहचान, सम्मान और पत्रकारिता के कार्यक्षेत्र में शीर्ष पद पर जाने तक की प्रक्रिया, सच सामने लाने पर फर्जी/गलत व परेषान और दबाव बनाने के लिए करी जाने वाली एफ. आई.आर. और अदालती मुकदमें, आर्थिक रूप से सहयोग/आश्रया ताकि धनबल के आगे घुटने न टेकने पड़े, आजकल बिक चुके बिना अक्कल वालों के झूंड द्वारा सोषियल मीडिया में झूठी जानकारी, छेड़छाड़ व गढी हुई तस्वीरें व वायरल के माध्यम से मानसिक उत्पीड़न से बचाव इत्यादि–इत्यादि मामले व दृश्टिकोण हैं।भारतीय मीडीया को संवैधानिक चेहरा मिलने का लोकतांत्रिक तरिकाकृना सबकुछ होने के बाद भी पत्रकारों से ज्यादा लोकतंत्र को बिखराव, बर्बाद होने व स्थाईत्व के लिए मीडिया के संवैधानिक चेहरे की जरूरत ज्यादा हैं व व्यवस्था के विकेन्द्रीयकरण एवं आगे की दिषा में अग्रसर बनाये रखने के लिए जवाबदेही वाले कानूनी अधिकार को तुरन्त प्रभाव से देना अति आवष्यक है द्य हेट–स्पीच, अष्लीलता, फेंक–न्यूज, वायरल संदेष, झूठ के गुब्बार बनाकर ठगी, लूट–खसोट, भीडतंत्र बनाकर व फर्जी जनसमूह से माइंडवाष, व्यवसाहिकरण के जकड़न और बाजारवाद के फंदे, धनबल से गुलामीता, कानूनी प्रक्रिया के नाम पर टार्चर और वसूली, मान–मर्यादा व ईज्जत के नाम पर शारीरिक, लैंगिक शोषण और सामाजिक जीवन की बर्बादी जैसे कई हथकंडे बड़ी तेजी से पत्रकारिता व व्यवस्था को निगल रहे हैं। पत्रकार लोग संगठित होकर अपना संवैधानिक चेहरा ले लेंगे यह मुष्किल लगता हैं क्योंकि गोदी मीडिया का भस्मासुर राजनैतिक रूप से इनमें घुस चुका हैं जो लालच, घष्णा, चाटुकारिता, स्वार्थ, अहंकार, घमण्ड, श्रेत्र–विषेश, धार्मिक संकीर्णता व अब जातिवाद के जहर से लबरेज हैं द्य हमारी आविश्कार की फाईल प्रधानमंत्री कार्यालय से राश्ट्रपति के पास अंतिम निर्णय के लिए पहुंच चुकी हैं व कई मंत्रालयों की एक संकलित रिपोर्ट बन चुकी हैं इसलिए कार्यपालिका अब कुछ नहीं कर सकती द्य विधायिका यानि संसद में कानून बनने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता हैं द्य यह मामला पहले ही राष्ट्रपति के पास पहुंच गया हैं इसलिए संसद कुछ नहीं कर सकती द्य यदि राष्ट्रपति इसे संसद के पास भेज मीडिया के संवैधानिक चेहरे का गठन व जवाबदेही कानूनी आधिकार देने का कानून बनाने को कहें तो अलग बात हैं द्य यदि सभी सांसदगण अलग प्रक्रिया प्रारम्भ सै शुरु कर दो तिहाई बहुमत से पास कर राष्ट्रपति को भेजे तो बात अलग हैं।

उच्चतम स्तर यानि न्यायपालिका सभी हेट–स्पीच के मामले में प्रचार प्रसार के माध्यम मीडिया व उसकी जानकारी में आ चुके संवैधानिक चेहरा न होने की सच्चाई को देखकर इस पर अलग से संविधान पीठ में सुनवाई कर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दे द्य यदि संवैधानिक पीठ में सभी 15 न्यायाधीष मौजूद हो तो इसे राश्ट्रपति भी नहीं बदल सकते व रोक सकते हैं द्य राष्ट्रपति हमारी विचाराधीन आविश्कार की फाईल पर अंतिम निर्णय के लिए अधिकृत होने के कारण स्वयं फैसला ले ले द्य यदि उन्हें षंषय हो या गलत परम्परा शुरु हो जाने का डर हो तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 143 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे मुख्य न्यायाधीष को भेज सं वह पीठ के माध्यम से सलाह मांगकर फैसला सुना दे।

एनएसयूआई का पुलिस व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

देहरादून(आरएनएस)। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने गुरुवार को एस्लेहाल चौक प भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर में संगठन के कार्यकर्ताओं पर सरकार के दबाव में एकतरफा कार्रवाई का आरोप पुलिस पर लगाया। एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में एकत्र हुए। वहां से पुलिस प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वे एस्लेहाल चौक पहुंचे। जहां प्रदर्शन किया।

वकास नेगी ने आरोप लगाया कि २९ जुलाई को राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर में एबीवीवीपी छात्र संगठन ने बिना महाविद्यालय प्रशासन की अनुमति के महाविद्यालय में आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित कराया। राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष कमलेश गडिया ने महाविद्यालय में बिना अनुमति के कराये जा रहे इस कार्यक्रम का विरोध किया। आरोप है कि इस पर कुछ छात्रों ने उनसे मारपीट की। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई के बजाए पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष को भी हटाया जाए। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कैतूरा, सुधांशु अग्रवाल, सागर सेमवाल, मुकेश बसेरा, प्रांचाल नौनी,हरजोत सिंह, पुनीत राज और अभिनव सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गढ़वाल विवि में मांगों को लेकर छात्रों का धरना रहा जारी

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आरक्षित सीटों को सामान्य किए जाने, अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली किए जाने और विवि प्रशासन से रोस्टर दिखाने की मांग को लेकर एबीवीपी और आर्यन छात्र संगठन का धरना गुरुवार को गढ़वाल विवि के प्रशासनिक भवन में जारी रहा। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री अमन पंत ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिना रोस्टर के आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग में कर दिया गया, जबकि विवि से इस संबंध में रोस्टर मांगा जा रहा है तो अधिकारी रोस्टर दिखा नहीं पा रहे हैं।

जुम्मा में शिक्षकों की नियुक्ति को महिलाएं आंदोलन में डटी

पिथौरागढ़(आरएनएस)। जुम्मा इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जारी अनशन में अब महिलाओं ने कमान संभाली हैं। गुरुवार को महिलाओं ने अनशन में बैठ कर शासन-प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया। कहा कि अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जुम्मा जीआईसी परिसर में अभिभावक संघ संघर्ष समिति के बैनर तले चौथे दिन विमला देवी, सुशीला देवी, पुष्पा देवी पार्वती देवी, किरन देवी, आनमती देवी आदि अनशन में बैठे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जरूरी सुविधाओं के अभाव में लगातार पलायन हो रहा है। शिक्षा भी उनमें से एक है। कहा कि जब विद्यालयों में पढ़ाने को शिक्षक नहीं होंगे तो अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए न चाहते हुए भी शहर का रूख करना पड़ेगा। कहा कि सरकार एक तरफ तो पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को जरूरी सुविधाओं भी नहीं दे रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी मांग को लेकर जब तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती वह अनशन में डटे रहेंगे।

मेहलचौंरी में पीएचसी में घुसा मलबा और पानी

चमोली(आरएनएस)। गैरसैंण के मेहलचौंरी में बुधवार रात हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण रामगंगा एवं सहायक नदी उफान पर आ गई। इस कारण यहां नदी का पानी सिंचाई विभाग द्वारा बनाऐ गये सुरक्षा दीवार का करीब ४० मीटर भाग तोड़कर विद्यामंदिर हाई स्कूल से होता हुआ खेल के मैदान और सीएचसी के भवन में घुस गया। इससे सीएचसी में रखी दवाइयों, फर्नीचर एवं उपकरण भी खराब हो गए हैं। बीती रात अचानक नदियों के उफान पर आने से मेहलचौंरी मैदान के निकट रह रहे लोगों में अफरातफरी मच गयी। सबने एक दूसरे को फोन पर इसकी सूचना दी। कुछ लोग तो घर को छोड़कर निकट के सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गये। नदी के पानी से मेहलचौंरी के खेल मैदान को काफी नुकसान पहुंचा है। सीएचसी गैरसैंण

के चिकित्साधीक्षक डॉ. एएस रावत ने बताया कि सूचना मिलते ही गुरुवार को कर्मचारियों की सहायता से कमरों में जमी मिट्टी एवं गाद को साफ कर लिया है। बताया कि मातृ शिशु कल्याण केंद्र लाटूगैर के भवन में भी नदी का पानी चला गया था। प्रधान मेहलचौंरी बलवीर मेहरा ने शासन प्रशासन से मेहलचौंरी में हुए नुकसान का जायजा लेते हुये तुरंत सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।

खाई से पुलिस कर्मियों ने कावंड़िये को निकाला बाहर

नई टिहरी(आरएनएस)। ऋषिकेश–बदरीनाथ राजमार्ग पर तीन धारा में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से बाइक सवार कांवड़िया खाई में जा गिरा। जबकि पीछे बैठी पत्नी सड़क पर गिर गयी। दम्पति केदारनाथ से वापस लौट रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस चौकी बछेलीखाल के सिपाहियों ने रस्सियों के सहारे तत्काल खाई में उतरकर कावड़िये को सकुशल बाहर निकालकर जान बचाई।गुरूवार को देवप्रयाग पुलिस, मेरठ निवासी दम्पति के लिए यहां देवदूत साबित हुई। केदारनाथ से बाइक में लौट रहे दिल्ली चुंगी मेरठ निवासी मनोज शर्मा व उनकी पत्नी अदिति शर्मा तीन धारा में ऊपर से गिरे पत्थर की चपेट में आ गए। इससे बाइक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गयी। जिसमें अदिति शर्मा सड़क पर ही गिर गयी। जबकि मनोज शर्मा उछल कर खाई की ओर जा गिरे। प

ति के खाई में गिरने से अदिति रोने-चिल्लाने लगी। संयोग से गढ़वाल मण्डल आयुक्त की ड्यूटी से लौट रहे बछेली खाल चौकी सिपाही राजेश नयाल व भूपेंद्र के सामने ही यह घटना हुई। बिना देर किये दोनों सिपाही वाहन में मौजूद रस्सी के सहारे खाई में उतर गए और ३५ वर्षीय मनोज शर्मा को सकुशल बाहर निकाल लिया। घटना स्थल पर इस बीच कावड़िये की भी भारी भीड़ जुट गयी। कावड़िये को देवप्रयाग पुलिस के सिपाहियों द्वारा सकुशल निकाल लेने पर यहां पर सभी भोले की जय जयकार करने लगे। जबकि पति को सही सलामत पाकर पत्नी अदिति शर्मा ने पुलिस जवानों का आभार जताया।

सीएम धमी ने टिहरी के आपदाग्रस्त क्षेत्र ज न्याली का स्थलीय निरीक्षण किया

देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद टिहरी के आपदाग्रस्त क्षेत्र जखन्याली का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढ़ाढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति एवं और शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना की। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में शासन-प्रशासन प्रभावितों के साथ खड़ा है। सरकार द्वारा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस समय एक दूसरे का सहयोगी बनकर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में आपदा से जनहानि, पशु हानि एवं अन्य परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपदा के समय लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी को आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने तथा राहत कैंपों में सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। आपदा क्षति का आंकलन कर तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करने के भी निर्देश दिये हैं। आपदा

प्रभावित क्षेत्र में जन जीवन सामान्य बनाने के लिए सड़क कनेक्टिविटी, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने जानकारी दी कि कल देर रात्रि जनपद टिहरी के घनसाली ब्लॉक के जखन्याली के पास बादल फटने से होटल बहने की सूचना प्राप्त हुई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही राजस्व टीम, पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत आदि विभागों की टीम जेसीबी, एंबुलेंस सहित मौके के लिए रवाना हुए। विद्युत विभाग द्वारा तत्काल शट डाउन किया गया। खोज बचाव एवं राहत टीम ने खोज बचाव शुरू किया। इस घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु हुई है। दो लोगों के शव रात्रि में बरामद कर लिये गये थे। एक घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आई आपदा में मुयालगांव में घनसाली -चिरबिटिया मोटरमार्ग को जोड़ने वाली पुलिया बहने, एक घोड़ा बहने की घटना एवं अन्य परिसंपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक घनसाली शक्ति लाल शाह, विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय,एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी मौजूद थे।

मालरोड को दुरुस्त करें सम्बन्धित विभाग, वरना करेंगे आन्दोलन : कर्नाटक

अल्मोड़ा(आरएनएस)।अल्मोड़ा की माल रोड में डामरीकरण हुए दो माह का समय भी नहीं हुआ है और सड़क में जगह-जगह गड्ढे बनने लगे हैं, जिन गड्ढों से रिसकर पानी लोगों के घरों में जा रहा है। बुधवार शाम बख्शीखोला में माल रोड पर तीन बड़े-बड़े गड्ढे बन गए। जिससे पानी लोगों के घरों में जाने लगा। सूचना पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के द्वारा तत्काल जल निगम के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता को तत्काल कार्यवाही हेतु सूचित किया गया, साथ ही उनके द्वारा अविलंब प्रात:काल तक गड्ढों के सुधारीकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई, तब जाकर आज सुबह मौके पर ठेकेदार के आदमी पहुंचे और गड्ढों को सीमेंट से भरने का कार्य किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक ने कहा कि ६ माह तक जनता लगातार माल रोड में सीवर लाइन पड़ने के कारण परेशान रही। इसके बाद डामरीकरण के लिए जनता को इंतजार करना पड़ा और काफी आंदोलनों के बाद संबंधित विभाग ने आनन फानन में डामरीकरण किया।

चेक पर कमीशन के खुलासे के बाद भी नहीं थम रही रार

रुद्रपुर(आरएनएस)।। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के पांच हजार के चेक के बदले तीन हजार रुपये कमीशन मांगने के मामले में पुलिस के खुलासे के बाद भी इस मामले को लेकर राजनीतिक रार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिवस विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच इस मामले को लेकर जमकर जुबानी जंग हुई। दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। वहीं गुरुवार को भाजपाइयों ने फिर से इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया। भाजपाइयों ने इस पूरे प्रकरण को सरकार और सरकार की जनकल्याणकारी योजना को बदनाम करने की साजिश बताया और एसएसपी से मुलाकात कर इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग की। गुरुवार को भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी मंजूनाथ टीसी से की मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। भाजपाइयों का कहना था कि ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में सिर्फ दो लोग ही आरोपी हों। उनका कहना था कि इस मामले में गिरफ्तार सुरजीत शर्मा और जावेद एक मोहरा हैं। आरोप लगाया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश की विस्तृत जांच हो तो कई बड़े नेता के नाम सामने आ सकते हैं। आरोप लगाया कि सुरजीत के पीछे बड़े नेता का हाथ है, जिसने सुरजीत शर्मा को आगे कर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश की है। इस मामले का मुख्य सूत्रधार सुरजीत शर्मा एक बड़े नेता का राइट हैंड है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार और सरकार की जनकल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जबकि इससे हजारों जरूरतमंद गरीब लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार मदद करती है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है।

अतिथि शिक्षकों को मण्डल परिवर्तन का मिलेगा मौका: धन सिंह रावत

देहरादून(आरएनएस)। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर तैनात अतिथि शिक्षकों को मण्डल परिवर्तन का मौका दिया जायेगा। इसके साथ ही अपर हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों के दूरस्थ विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षकों को कम से कम तीन वर्ष के लिये तैनात किया जायेगा साथ ही अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को अनुमन्य वेतनमान भी दिया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में तैनात अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल में तैनात अतिथि शिक्षकों को मण्डल परिवर्तन का मौका दिया जायेगा, ताकि अतिथि शिक्षक इच्छित मंडल में शैक्षणिक गतिविधियों के निर्वहन में मन लगाकर कार्य कर सकें। विभगाय मंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षक बार-बार प्रभावित न हो इसके लिये उन्हें उच्च हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों के दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष न्यूनतम तीन वर्ष के लिये तैनाती दी जायेगी। इसके लिये अतिथि शिक्षकों को अनुबंध पत्र के साथ ही विकल्प देना होगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दे

दिये गये है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को अन्य कार्मिकों की भांति मातृत्व अवकाश दिये जाने पर भी सहमति बन गई है। विभागीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके इच्छित स्थानों पर तैनाती देने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिये गये हैं। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकश के दौरान विद्यालयों में शिक्षण कार्यों का निर्वहन करेंगे उनको विभागीय द्वारा अनुमन्य मानदेय दिया जायेगा।

साइंटिफिक-एनालिसिस

लोकतंत्र मांगे मीडिया का संवैधानिक चेहरा

हेट–स्पीच यानि हिन्दी में घृणित या नफरती भाषण होता हैं और कानून के हिसाब से कौनसे शब्द कब इसके दायरे में आते हैं या नहीं उसकी कोई एक निष्चित परिभाषा नहीं हैं द्य सड़कों एवं सोषियल मीडिया में जिधर लोगों का ट्रैंड बनाया जाता हैं उसी करवट ऊंट को बैठा दिया जाता हैं द्य यहां पर भी कोई व्यवस्था या सिस्टम नहीं हैं जिससे सही रूप से पता चल सके कि ट्रैंड कौनसी दिषा में बना हैं बस यहाँ ज्यादा मीडिया के संगठन जिस दिषा में लग पडते हैं या लगा दिये जाते हैं वो ही हेट–स्पीच के दायरे में चला जाता हैं या बाहर निकल जाता हैं द्य

खेमेबाजी वाले आज के राजनैतिक घालमेल ने जिस तरह भीडतंत्र को उकेरा हैं उससे भविश्य की लकीरें बनने लगी हैं जो बता रही हैं कि आने वाले समय में न्यायाधीषों के फैसलों को भी हेट–स्पीच का जामा पहना दिया जायेगा द्य वैसे भी आजकल बहुतायत मामलों में न्यायपालिका सजा देकर व्यवस्था को विघटन से रोकने का पथ प्रदर्षित नहीं करती बल्कि लम्बी चौडी सिर्फ जुबानी कठोर टिप्पणी कर समय की लम्बी यात्रा पर निकल पडती हैं द्य

प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में सभी सांसदों को पुराने संसद–भवन यानि संविधान–सदन से नये संसद–भवन में ले गये और राज्य सभा व लोकसभा के अध्यक्षों को पीछले दरवाजों से आना पडा जबकि नेतष्त्व व संविधान के दायरे में सभी को रखने की जिम्मेदारी इनकी हैं द्य संविधान की नई प्रतियां छपवाकर सभी सांसदों को पकडाई गई परन्तु समय के साथ जो संसोधन हुये उन्हें छोड़ कर सभी की फसलियों में पानी भरकर छाती फुलाई गई कि अंग्रेजों से लड़कर इन्होंने ही देष को आजाद करवाया और असली लोकतंत्र ये ही अब लेकर आये हैं द्य जब पहली बार नये संसद–भवन में कामकाज षुरू हुआ तो छाती का पानी पेट के रास्ते मुंह से अपषब्दों के रूप में बाहर निकला तब सबको पता चल गया कि हेट–स्पीच की जननी का खिताब ये लोग अपने दिमाग में कीडे के रूप में छुपाकर साथ लाये हैं।

राज्यसभा के सभापति तो सिर्फ झण्डा फहराने के ख्यालों में रह गये और लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी चेयर के माध्यम से देषवासीयों को जिन्होंने इन सभी सेवकों को करीबन 1200 करोड़ रूपये की नई संसद के रूप में सौगात अच्छे काम करने के लिए दी उन्हें धन्यवाद के रूप में गालियां लाईव टेलिकास्ट के माध्यम से उपहार में दे दी द्य यदि जनता पांच दिन का समय मांग 4 दिन में भाग जाने वाले कामचोर सेवकों के भरोसे नहीं रहती व इन पैसों को आपस में बांट लेती तो करीबन हर ईंसान की जेब में लगभग 8.50 करोड़ रूपये आ गये होते द्य गालियों का क्या वो तो किसी भी सिनेमाघर में जाकर सस्तें में सुन आते, वहां ऐसे–ऐसे धुरंधर आगये हैं जो समय–समय पर गालियों में स्टोरी मिलाकर अच्छे से परोस देते हैं द्य लोकसभा अध्यक्ष ने असंसदीय भाशा का टैग लगा रिकॉर्ड से हटाने का बोलकर हेट–स्पीच की जननी का रोल निभा दिया और लाईव टेलिकास्ट के चोर दरवाजे से हेट–स्पीच को बाहर निकाल देष की सड़कों पर खुल्ला छोड दिया द्य

मीडीया का कोई संवैधानिक चेहरा नहीं और चौथे खम्भें के रूप में कोई कानूनी जवाबदेही स्तम्भ नहीं यह तो सिर्फ सड़कों पर बिखरे टेढ़े–मेढ़े, नुकिले, चपटे व भौंडे पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें कोई भी साम, दाम, दण्ड, भेद के माध्यम से एक–एक पत्थर उठाकर फेंकता रहता हैं द्य इसी का फायदा उठाकर संसद अपने विषेशाधिकार का चौला ओढ़ संविधान के नियमों व कानूनों से बच जाती हैं द्य संसद अपने रिकॉर्ड को डिलिट करे या रिकॉर्ड में रखें यह उसके विषेशाधिकार में आता हैं परन्तु लाईव–टेलिकास्ट के साथ यह मीडिया के संवैधानिक अधिकार व दायरे में चला जाता हैं द्य इसी मर्यादा व नैतिकता पर चले तो अदालतें न्याय नहीं कर सकती क्योंकि हर जगह परिवार, समाज, जातिगत समूह, धर्म, सम्प्रदाय के विषेशाधिकार आड़े आ जायेंगे द्य

अब मीडिया के इसी संवैधानिक चेहरे के अभाव में सत्ता अंग्रेजों के फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर चल रही हैं व सांसद के अपषब्दों को पार्टी, पक्ष–विपक्ष, जात–पात, धर्म–संप्रदाय में बांट रही हैं ताकि जनता यह न पूछे की संसद ने इन अपषब्दों पर क्या कानूनी कार्यवाही करी, राजनैतिक दल आपस में अन्दर लड़े, मारे–पिटे जो करे परन्तु हैं तो एक ही थाली के चट्टे–बट्टे द्य ये ही सांसद लोग और इनके पार्टी सहयोगी अब मीडीया पर आकर आपस में अलग–अलग दल व गुट में बंटकर दिखावटी खेल कर रहे हैं और एक–दूसरे का नाम लेकर देषवासीयों को उसने ऐसा कहां, इन्होंने पहले ऐसा कहां कहकर गालियां पर गालियां सुना रहे हैं। न्यायपालिका तो हेट–स्पीच की चौकीदार बनी पड़ी हैं वो तो संसद का विषेशाधिकार बोलकर न तो वो अन्दर घुसकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रही हैं और न किसी दूसरे को जाने देती हैं द्य जब एक बार लाईव टेलिकास्ट से सार्वजनिक हो गया तो कौनसा विषेशाधिकार बचता है द्य अदालतों में कई हेट–स्पीच के मामले चल रहे हैं परन्तु हर बार संसद या सरकार यह व्यवस्था करें, ये कमेटी बनाये, गाईडलाइन तय करे ऐसा बोलकर मीडिया के संवैधानिक चेहरे होने को टाल रही हैं द्य संसद यानि विधायिका का कार्य सिर्फ कानून बनाना हैं, कार्यपालिका यानि तथाकथित सरकार का काम सिर्फ व्यवस्था चलाना है, लोकतंत्र में किसी भी क्षेत्र में न्याय करना न्यायपालिका का काम हैं चाहे वो राश्ट्रपति–भवन ही क्यों ना हो यहि तो संविधान कहता हैं द्य संविधान की प्रति तो संसद–भवन के अन्दर रखी हैं इसलिए षायद न्यायाधीष उसको पढ़ नहीं पा रहे लगते हैं द्य इस वजह से आपका साइंटिफिक,–एनालिसिस षुरु से कहता आ रहा हैं कि संविधान की प्रति उच्चतम न्यायालय के सभागार में रहनी चाहिए। मीडीया का संवैधानिक चेहरा होता तो वह इस पर एक सामुहिक रिपोर्ट बनाता व संवैधानिक रूप से सीधे न्यायपालिका या राश्ट्रपति को भेज कार्यवाही करने की कानूनी रूप से अनुषंसा कर देता द्य जमीनी सच्चाई तो यह हैं कि मीडिया के चन्द सम्पादक देष के लिए जान हथेली पर लेकर चलने वाले भारतीय सेना के अनुरोध पर एक छोटी सी रिपोर्ट बना दे तो उन्हें आम आदमी के अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में तुरन्त न्यायपालिका से शरण मांगनी पडती हैं द्य यह कड़वा सच हैं लोकतंत्र के स्तम्भ मीडिया का द्य राश्ट्रपति को जाने दो वो तो 400 कमरों के आलीषान महलनुमा भवन के चकाचौंध में मग्न हैं उन्हें मीडिया के संवैधानिक चेहरे के अभाव में अपनी संवैधानिक कुर्सी के लंगडेपन का दर्द तक महसूस नहीं हो रहा तो बाहर क्या हो रहा हैं व जनता को अपषब्द क्यों सुनने पड़ रहे है उससे उनके कान पर कौनसी जू रेंग जायेगी।

केदारनाथ में आपदा में ठप हो जाता है संचार तंत्र

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। केदारनाथ धाम में वर्ष २०१३ की आपदा के बाद भले ही सुरक्षा के कई प्रयास हुए हैं और वर्तमान में केदारपुरी को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया गया हो किंतु ११ सालों में भी यहां संचार तंत्र को मजबूत नहीं किया गया है। आलम यह है कि विपत्ति के समय यहां सम्पर्क करना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि स्वयं प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों को भी केदारनाथ सम्पर्क करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक १६ किमी पैदल मार्ग में संचार सेवा हमेशा ही सबके लिए मुसीबत बनी रहती है। भले ही अन्य दिनों यहां बेहतर नेटवर्क रहा हो किंतु जब सम्पर्क की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यहां नेटवर्क की समस्या हर किसी को परेशान करती है। बीती रात आपदा के बाद गौरीकुंड से केदारनाथ तक मोबाइल सम्पर्क नहीं हो सका।

गैरसैंण में मकान गिरने से गर्भवती की मौत

चमोली(आरएनएस)। गैरसैंण ब्लॉक के रोहिड़ा ग्राम पंचायत के झोड़ू सिमार तोक में भारी बारिश से बुधवार रात करीब नौ बजे एक मकान ढह गया। जिसकी चपेट में आने से २६ वर्षीय दीपा देवी पत्नी राकेश भारती की मौत हो गई। महिला सात माह की गर्भवती बताई जा रही है।परिजनों का कहना है कि बारिश के कारण मकान के पीछे की दीवार टूटने के बाद मकान का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि इस दौरान अन्य परिजनों ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि महिला सात माह की गर्भवती भी थी।

डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण से आर्थिक प्रगति बढ़ेगी: बृज भूषण गैरोला

देहरादून/डोईवाला- 2 अगस्त 2024रू डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 01512/2021 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सौड़ा सरोली में आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 4.435 कि. मी. लंबाई के मोटर मार्ग का पीसी और इंटरलश्किंग टाइल्स द्वारा निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत घ्265.37 लाख आंकी गई है। राज्यपाल की स्वी ति से घ्204.40 लाख द्धदो करोड़ चार लाख चालीस हजार रुपये मात्रऋ की प्रशासकीय और वित्तीय स्वी ति प्रदान की गई है।

विधायक श्री बृजभूषण गैरोला ने इस अवसर पर कहा, "यह परियोजना डोईवाला क्षेत्र के नागरिकों के लिए बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका

निभाएगी। हमारे क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू की गई हैं। 1. दरें शेड्यूल अश्वफ रेट से भिन्न होने पर अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। 2. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राविधिक स्वी ति आवश्यक है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य अन्य विभागीय बजट से न कराए गए हों। 3. प्रस्तावित मार्ग ग्राम पंचायत रायपुर के आंतरिक मार्ग हैं और निर्माण के उपरांत इनके रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाएगा। 4. स्वी त विस्तृत आगणन में परिवर्तन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति प्राप्त की जाएगी। 5. कार्य समयब) रूप से पूरा न करने की दशा में अन्य एजेंसी का चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। 6. ठेकेदार के साथ अनुबंध में समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएगी। 7. कार्य समयब) रूप से पूर्ण करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता की होगी। 8. व्यय स्वी त नार्म के अनुरूप ही किया जाएगा। 9. बजट मैनुअल के समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 10. यदि कार्य के लिए अन्य विभागीय बजट से धनराशि स्वी त की गई है, तो इस धनराशि का आहरण नहीं किया जाएगा। 11. मुख्य अभियंता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग,

यूजेवीएन लिमिटेड के 90 मेगावाट क्षमता के तिलोथ जल विद्युत गृह का रिकार्ड उत्पादन

यूजेवीएन लिमिटेड की जनपद उत्तरकाशी में स्थित 90 मेगावाट क्षमता की मनेरी भाली प्रथम जल विद्युत परियोजना के तिलोथ विद्युत गृह द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अब तक का जुलाई माह का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया गया है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में भगीरथी नदी पर स्थित तथा 1984 में ऊजह्व त 90 मेगावाट क्षमता की मनेरी भाली प्रथम परियोजना के तिलोथ जल विद्युत गृह द्वारा जुलाई 2024 में 61.356 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया। इससे पूर्व तिलोथ विद्युतगृह द्वारा स्थापना के बाद का जुलाई माह का अधिकतम विद्युत उत्पादन जुलाई 2011 में किया गया था जो कि 60. 42 मिलियन यूनिट था।

साथ ही जुलाई 2024 में ही निगम की परियोजनाओं द्वारा 616.944 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो कि वर्ष 2015-16 के बाद से अभी तक का किसी भी वर्ष के जुलाई माह का निगम की परियोजनाओं द्वारा किया गया सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। उल्लेखनीय है कि यह उपलब्धि निगम द्वारा तब हासिल की गई है जबकि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष टौंस नदी में जल प्रवाह 80 प्रतिशत तक तथा यमुना नदी में जल प्रवाह 62 प्रतिशत तक काम रहा है।

प्रबंध निदेशक डश्व संदीप सिंघल ने विद्युत उत्पादन की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसका श्रेय विद्युत परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन, बेहतर रखरखाव द्वारा मशीनों के ब्रेकडाउन समय में कमी तथा कार्मिकों की मेहनत लगन तथा बेहतरीन कार्य संस्ति को देते हुए आशा व्यक्त की कि निगम निकट भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक तरक्की करेगा।विमल डबराल जनसंपर्क अधिकारी यह जानकारी दी है।

साइंटिफिक-एनालिसिस

लोकतन्त्र व राजनैतिक दलों को आईना दिखाता एक आवि कार

आजादी को 75 वर्षों से अधिक होने के बाद भी सोच, षिक्षा व भविष्य की दूरदर्षिता का यह आलम हैं कि एक आविष्कार पूरे लोकतन्त्र व राजनैतिक दलों पर भारी पड़ रहा है। आविश्कार भी ऐसा–वैसा नहीं हैं यह पुरी दुनिया के रिकॉर्ड से जांचनें के बाद 350 वर्षो से ज्यादा पुराने ईतिहास में भारत को अग्रणी यानि नम्बर –1 बना चुका और भारत सरकार ने प्रमाण–पत्र भी जारी करा हुआ हैं। इसके साथ सबसे बड़ा सामाजिक पहलू एक मिनिट में मर रहे एक ईंसान की जान को बचाने से जुड़ा हैं।

व्यक्तिगत रूप से बिना किसी एजेंट के पेटेंट हासिल करने वाले मध्यप्रदेष इतिहास के प्रथम व्यक्ति ने वर्षों तक नीचे से ऊपर यानि महामहिम राष्ट्रपति तक दस्तावेजों को फाईल के रूप में हर सरकारी टेबल की धुल खिलाने की प्रक्रिया से परेषान होकर सभी देष–दुनिया के दस्तावेजों को दस पेज की संलग्न सूची के रूप में संकलित कर 3.50 किलोग्राम की फाईल बनाकर राष्ट्रपति को भेज दिया द्य इस फाईल पर अंतिम फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत हो चुके हैं। इस फाईल में सबसे ऊपर जो कवर फोटो व कवरिंग पत्र लगाया वो आज के लोकतन्त्र, संविधान के आधार पर चलने वाली व्यवस्था और राजनैतिक दलों पर भारी पड़ रहा हैं।

वर्तमान में लोकसभा चुनाव या आम चुनाव की प्रक्रिया चालू हैं इसमें हर राजनैतिक दल ने देष व देषवासीयों के लिए सत्ता मिलने के बाद भविष्य के काम का जो खाका खींचा हैं उसे घोषणा पत्र कहते हैं। सत्ता समर्थित सबसे बड़े राजनैतिक दल ने इसे संकल्प पत्र कहां हैं और सोषियल मीडिया नेटवर्क व व्यक्तिवाद के प्रचार में मोदी की गारन्टी कहां जा रहा हैं । विपक्ष के सबसे बड़े राजनैतिक दल ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहां हैं। इन दोनों को सत्ता द्वारा देष के भविष्य का केन्द्र मानकर आगे बढा जा सकता है। यह दोनों लोकतन्त्र के नाम पर सिर्फ़ बात करते हैं उसकी मजबूती के लिए एक भी योजना का जीक्र नहीं हैं। सत्ता पक्ष का राजनैतिक गठबंधन जो चल रहा हैं व आज को ही सर्वश्रेष्ठ लोकतन्त्र बता रहा हैं और अपने काम को छोड़ दूसरों के भूतकाल की बातों का डर दिखा वोट मांग रहा हैं। इसके विपरित विपक्षी गठबंधन लोकतन्त्र को बचाने व मजबूत करने का एक ही उपाय बता रहा हैं बस उसे वोट दे दो।

आविष्कार वाले लेटर के कवर पेज पर पहली बार किसी लोकतन्त्र का ग्राफिक्स रूप हैं। इसके आधार पर विष्लेषण करने पर हर समस्या का समाधान सामने आ जाता हैं । इसमें भारत–सरकार का सही अर्थ, राष्ट्रपति की शपथ का तरीका, मुख्य न्यायाधीष के आगे लगे भारतीय शब्द का सही अधिकार व सम्मान, न्यायकर्मियों को उचित सुविधाएं, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का खाका, भारतीय मीडिया का संवैधानिक चेहरा व जवाबदेही वाले कानूनी अधिकार, गोदी मीडिया व फेक न्यूज़ पर कन्ट्रोल कर खत्म करने का तरीका, एक छोटे से छोटे सैनिक को हर राष्ट्रीय पर्व पर गारन्टेड शीर्षस्थ सलामी, सिर्फ कानून बनाने नहीं, कानून बनाने के तरीके को संवैधानिक तरिके से स्पष्ट कर व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावी व तिरंगें के चक की तरह गतिमान करने का सिद्धांत, आर्टिफिषल इंटेलिजेंस के बढते कदम को लोकतन्त्र में संविधान के अनुरूप समावेष करने का तरीका, वन नेषन व वन इलेक्षन को लागू करने का सही प्लान इत्यादि–इत्यादि प्रमुख हैं।

अब आते हैं राजनैतिक दलों की सामाजिक एवं आर्थिक नीति पर जो सत्ता में आने के बाद सीधे केष राषि को चयनित लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर टीकी हैं। यह पैसा दूसरे हाथ से आम लोगों द्वारा टैक्स के रूप में वसूला जायेगा इसमें जिनको आर्थिक सहयोग दिया जायेगा वो भी शामिल हैं। यह प्राथमिक स्तर की स्कूलों में पढाई जाने वाली कहानी दो बिल्लियों को एक रोटी बराबर–बराबर बांटने में तराजु लेकर बैठे बन्दर के खेल के सिद्धांत एवं नियमों के अनुरूप हैं। घोषणा पत्रों में प्राथमिक षिक्षा को मुफ्त, चयनित छात्रों को पैसे का सहयोग देने की बात हैं जबकि आविष्कार वाले पत्र में कालेज से निकलने वाला हर छात्र लखपति या करोड़पति बनकर निकलने का लिखित में दे रखा हैं और योजना के सत्यापन के प्रमाणित दस्तावेज जोड रखे हैं। बेरोजगारों को नौकरीया देने की बात को राजनैतिक दलों ने बड़ी–बड़ी संख्या के वादों के रूप में बताया हैं जबकि आविष्कार वाले कवर पत्र में एक आविष्कार से लाखों को प्रत्यक्ष व करोडों को अप्रत्यक्ष नौकरी का प्रमाण देते हुए नौकरीया उत्पन्न करने के सिद्धांत को लागू करना हैं जिससे आने वाले समय में नौकरियां ज्यादा होगी व काम करने वाले उम्मीदवार कम पड़ेंगे।

सभी राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य को लेकर एक ही योजना हैं, वो हैं लोगों के जीवन को बीमे के माध्यम से प्राइवेट कम्पनीयों के हवाले कर देना। मुफ्त ईलाज के नाम पर सुविधाओं, स्टाफ, दवाईयों के अभाव वाले सरकारी अस्पतालों में डिपोजिट करा देने से ज्यादा नहीं जबकि आविश्कार वाले लेटर में पूरे चिकित्सा क्षेत्र को 21वी सदी के अनुरूप बदलने, बिमारीयों को कम करने व हर अस्पताल को सक्षम व आधुनिक बनाने के प्रमाणित दस्तावेज आधारित योजना ही नहीं करोड़ें–अरबों रुपये की व्यवस्था भी करके दी हैं। महंगाई व गरीबी खत्म करने की बातें नही उसको हकीकत में बदलने का पुरा खाका बनाके दिया हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन व पाकिस्तान की टेढी चालों को नेस्तनाबूद कर उन्हें ऐसा दुबारा करने लायक भी नही छोडने का रामबाण उपाय सुझा रखा हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य भी नहीं हैं जबकि पहली बार देष में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थापित करने का सारा आधार तय करके एक थाली के रूप में परोस रखा हैं। आरक्षण को लेकर भविष्य में क्या होगा उसको लेकर पुरा खाका साइंटिफिक–एनालिसिस के रूप में खीच रखा हैं, अब तक 21बार से ज्यादा लगातार सत्यापित हो चुका हैं व आगे का परिणाम स्पष्ट रूप से बता रखा हैं। धर्म को लेकर सिर्फ़ बांटने या धर्म–विषेष को लेकर कुछ सहयोग भीख की तरह फेंक देने की राजनैतिक पालिसी के बिलकुल विपरित हर धर्म को चेहरा देकर संवैधानिक रूप से लोकतन्त्र व सत्ता से जोडने की परिपाटी स्पष्ट करी हुई हैं ताकि पुरानी ईंसानी सभ्यता व करोडों लोगों के जीवन का संघर्ष आपसी तू–तू मैं–मैं की लडाईयों में बर्बाद न होकर पुरी ईंसानी सभ्यता को ऊंचाई के षिखर की दिषा में अग्रसर करते रहे।

मधुबन वैंकेट हॉल एवं रेस्टोरेन्ट

प्रो. राजेन्द्र प्रसाद अमोला

273, देहरादून रोड़, नियर नटराज चौक,
ऋशिकेश दूरभाष: 9897786765
सभी सुविधाओं से सुसज्जित शादी व
अन्य पार्टियों के लिए उपयुक्त स्थान

टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति प्रतापनगार गांजणा क्षेत्र
लिखवार गांव पो. कोटालगांव प्रतापगनर गढ़वाल 249165
मो0:- 9456334283 वॉटसअप न0 7983825336
pahadonkigoonj@gmail.com

सेवा में
महामहिम राष्ट्रपति
भारत गणराज्य, नई दिल्ली।

विषय:-टिहरी जलविकास निगम का सृजन कर 2400 मेघावाट विद्युत उत्पादन के लिए टिहरी बांध का निर्माण किया गया। जिससे बांध के कारण झील में पानी भरने से क्षेत्र की दूरी बढ़ने से प्रभावित प्रतापनगर गाजणा कृत्रिम रूप से काला पानी क्षेत्र बनाया गया। टिहरी झील के विकास में प्रतापनगर को रोजगार देने की बाते समझौता में हुई है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। वहां के प्रति परिवार को 10 लाख रुपये प्रतिपूर्ति दिलाने हेतु ।

महोदय,

निवेदन है कि टिहरी बांध निर्माण से राजीव गांधी जी का सपना देश के विकास में सहयोग करने का पूरा हो गया है जिसके निर्माण उनके द्वारा सृजित टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से किया गया है। बांध की प्रति मेगावाट 3.75 करोड़ रुपये आई है जबकि वर्तमान मे प्रतिमेगावाट 15 करोड़ रुपये लागत आ रही है इस बांध के बनने से जहां 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन सरकार का होगा। चार लाख हेक्टर जमीन की सिंचाई अतिरिक्त हो रही है एवं 40 लाख लोग दिल्ली एवं 30 लाख लोग उत्तर प्रदेश को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं बाढ़ रोकने के लिये यह बांध बह्मा का कमंडल सिद्ध हो रहा है इसे बांध के बनने से करोड़ों लोगों का लाभ है वहीं 15,500 परिवार प्रतापनगर एंव गांजणा क्षेत्र के बांध की झील भरने से क्षेत्र के दूरी बढ़ने से प्रभावित है। जहां टिहरी के लिये हमारा 04 घंटे का आना जाना एंव दैनिक कार्य को निपटाना होता था वहीं बांध बनने से नई टिहरी आने जाने तक 12 घंटे का सयम लगता है जिससे क्षेत्रवासियों का धन की बर्बादी के साथ समय का जाया हो रहा है एक दिन के कार्य लिये 5 दिन लग जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने 26 जनवरी से चलाये जा रहे लंम्बित आन्दोलन को 1 जुलाई 2008 से लम्ब गांव चौवाड़गाड बैंड गंगोत्री केदारनाथ मार्ग पर अभूतपूर्व आंदोलन कर 9 जुलाई को चक्का जाम कर सेना के वाहनों को भी रोका गया। तदोपरान्त डीएम टिहरी ने प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के माध्यम से क्षेत्र की दस लाख प्रतिपूर्ति देने की मांग को पांच लाख प्रतिपूर्ति प्रति परिवार देने की सहमति व्यक्त करते हुये अंदोलन स्थगित करा दिया। प्रमुख सचिव सिंचाई ऊर्जा सचिव उत्तराखण्ड भारत सरकार से प्रतिपरिवार पांच लाख प्रतिपूर्ति देने के लिये दिनांक 5 जनवरी 2010 को पत्र लिखा पत्र पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु टिहरी के सांसद विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन ने भारत सरकार को लिखा। 28 जनवरी को ऊर्जा मंत्री भारत सरकार को अनुदान देने के लिये पत्र भेजा उत्तराखण्ड शासन ने पुन: पत्र 2014-15 में भेजा जिस पर अब तक सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री/ऊर्जामंत्री भारत सरकार को विगत में पत्र भेजे गये हैं। अब बांध की रायल्टी उत्तराखण्ड सरकार को मिल रही है। उसमें से प्रतिपूर्ति दिए जाने की कृपा करें। प्रतापनगर की हर क्षेत्र में विकास के लिए उपेक्षा हो रही है जो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं जिससे आंदोलन को सरकार न्यौता दे रही है।

श्रीमान, निवेदन है कि अक्टूबर 2005 से किये जा रहे आंदोलन के फलस्वरूप 5 लाख रुपये देना स्वीकार हुआ । 2009 से अब तक 15 साल का ब्याज सहित 10 लाख से ऊपर बैठता है प्रतिपूर्ति की लागत बांध के आंगणन में जोड़ कर भुगतान किया जाये फिर भी बांध की लागत कम आ रही है। आप से अनुरोध है कि प्रभावित क्षेत्र की लोगों को **पन्द्रहवीं सदी में** कृत्रिम रूप से सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में गुजर बसर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनको 10 लाख रुपये देकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने वाले क्षेत्रवासियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सहानुभूतीपूर्वक प्रतिपूर्ति दिलवाने का केन्द्र सरकार से कष्ट करें।

सादर भवदीय
जीत मणि पैन्यूली संयोजक

उक्त कटिंग को अपने स्तर से माननीया राष्ट्रपति जी को भेजने की कृपा करें।

देश विदेश के तीर्थयात्री एवं पर्यटकों के पुन: शुभागमन पर हार्दिक स्वागत -जीतमणि पैन्यूली संपादक एवं पूर्व संरक्षक श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति कर्मचारी संघ जोशीमठ

सम्पादक- जीतमणि पैन्यूली मोबाईल नं0 09456334283, 8755286843 प्रधान सम्पादक- डा. गणेश पैन्यूली 9412006231, फोटो ग्राफर-प्रदीप पैन्यूली 9456546603 प्रतिनिधि केशव रावत, प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल, योगेश पैन्यूली, मदन पैन्यूली बड़कोट, उपसम्पादक/समन्वयक, लोकेन्द्र जोशी, एकता सिंह, कानूनी सलाहकार: विपुल पैन्यूली हाईकोर्ट नैनीताल, दुर्गा प्रसाद बहुगुणा, कामेश्वेर चौहान। डॉ. संजय गांधी सदस्य संरक्षक सदस्य सी.टी. हार्ट सेन्टर 55 ई.सी रोड़ देहरादून सभी प्रतिनिधि अवैतनिक है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एंव सम्पादक जीतमणि पैन्यूली द्वारा शब्द-संस्कृति प्रकाशन प्रा. लि.117-चुक्खुवाला निकट पी एण्ड टी कालोनी देहरादून से मुद्रित एंव 142/1 धर्मपुर देहरादून उत्तराखण्ड से प्रकाशित। प्रचार-प्रसार कार्यालय एजेन्डा बिजनैस सेन्टर 11/10 राजपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड ।